The Banking Companies (Audit) Bill, 1995

SHRI GURUDAS DAS GUPTA (West Bengal): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for the auditing of accounts of Banking Companies by an independent authority and for matters connected therewith or incidental thereto.

The question was put and the motion was adopted.

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: Sir, I introduce the Bill.

The declaration of assets and liabilities by Ministers and Members of Legislature and Office Bearers of Political Parties Bill, 1995

SHRI GURUDAS DAS GUPTA (West Bengal): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for the declaration of assets and liabilities by Ministers, Members of Parliament and Members of State Legislatures and Office Bearers of the recognised political parties and their family members and for matters connected therewith or inicdental thereto.

The question was put and the motion was adopted.

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: Sir, I introduce the Bill.

The Private Schools (Regulation) Bill, 1995

SHRI GURUDAS DAS GUPTA (West Bengal): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to regulate the functioning of Private Schools including conditions of services of the teachers and for matters connected thefewith or incidental thereto.

The question was put and the motion was adopted.

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: Sir, I introduce the Bill.

The Indecent Representation of Women (Prohibition) Amendment Bill, 1995

MISS SAROJ KHAPARDE (Maharashtra): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Indecent Representation of Women (Prohibition) Act, 1986.

The question was put and the motion was adopted.

MISS SAROJ KHAPARDE: Sir, I introduce the Bill.

The reservation of posts for Women in Government Services Bill, 1994—*Contd.*

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SATISH AGARWAL): We will now take up the further consideration of the Reservation of Posts for Women in Government Services Bill, 1994, moved by Shrimati Veena Verma on 4th August, 1995. Shri Sangh Priya Gautam to initiate the discussion.

श्री संघ प्रिय गौतम (उत्तर प्रदेश): उपसभाध्यक्ष महोदय, इस में कोई शक नहीं कि हमारे देश में महिलाओं की स्थिति बड़ी दयनीय है। हमारे संविधान में धारा-39

'Certain principles of policy to be followed by the State'

की "ए" उपधारा में कहा है कि—

> "that the citizens, men and women equally, have the right to an adequate means of livelihood;"

इस का सीधा अर्थ है कि महिलाओं के लिए आर्थिक समानता प्रदान करना राज्य का दायित्व भी है और समय की मांग भी है, लेकिन श्रीमती वीणा वर्मा जी ने इस विधेयक को प्रस्तुत करते समय जो उद्देश्य बताएं हैं, पहले मैं उनकी समीक्षा करना चाहूंगा। उन्होंने कहा कि महिलाएं समाज में पुरुष के बराबर नहीं हैं, सामाजिक दृष्टि से वह तिरस्कृत हैं, आर्थिक दृष्टि से वह दीन हैं और शिक्षा की दृष्टि से वह पिछड़ी हुई हैं। उन्होंने कहा है कि उद्योग के क्षेत्र में उन की भागीदारी नहीं के बराबर है और दिन-प्रति-दिन घटती चली जा रही है। जितने भी राष्ट्रीयकृत संस्थान है, सार्वजनिक उपक्रम हैं, उन में भी उन की भागीदारी बहुत कम है और वह भी दिन-प्रति-दिन कम होती जा रही है। यही नहीं, वीणा जी ने यह भी कहा कि इस समाज का दृष्टिकोण बड़ा रूढिवादी है।

SHRI R. MARGABANDU (Tamil Nadu): There is no English translation, Sir.

SHRI SANGH PRIYA GAUTAM: Sir, he says that there is no English translation.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SATISH AGARWAL): You must be getting it, Mr. Margabandu. Are you not hearing the English translation?

SHRI R. MARGABANDU: No, Sir.

श्री संघ प्रिय गौतम: उन्होंने चिंता व्यक्त की कि समाज बड़ा रुढ़िवादी है और उस का दृष्टिकोण बड़ा संकुचित है और वह शिक्षित महिलाओं को भी घर की चारदीवारी में बंद रखना चाहता है। इसलिए उन्होंने सरकार और समाज दोनों से अपील की है कि महिला को आर्थिक और सामाजिक बराबरी मिलनी चाहिए। इस तरह वीणा जी ने जो अपील की है वह सरकार से भी है और समाज से भी है। मेरी दृष्टि से इस की समीक्षा करना इसलिए आवश्यक है कि यह विधेयक जितना सरकार की दृष्टि से, कानून की दृष्टि से, संविधान की दृष्टि से महत्वपूर्ण है वहीं सामाजिक सोच की दृष्टि से भी यह ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए पहले हमें समाज के उन हालात पर विचार करना पड़ेगा, उन कारणों पर विचार करना पड़ेगा जिनके कारण महिला का सम्मान नहीं है और महिला समाज में बराबर नहीं है।

महोदय, अभी जब हमें माननीय अध्यक्ष जी, लोक सभा के नेतृत्व में मंगोलिया जाने का मौका मिला तो पता चला कि वहां महिलाओं की संख्या 55 प्रतिशत है और पुरुषों की संख्या कम है। वहां संसद एक सदन की है जिस की सदस्य संख्या 76 है। जब हम ने उन से प्रश्न पूछा कि इस में महिला कितनी है? तो कहा गया कि एक भी नहीं है। हम ने उस का कारण पूछा कि आप के यहां महिला क्यों नहीं है? तो हमारे नेता विरोधी दल ने बड़ा साफ उत्तर दिया कि कोई आरक्षण भी नहीं है, कोई पाबंदी भी नहीं है, पूरी छूट है चुनाव लड़ने की और जीतने की, लेकिन महिला नहीं है। तो हम ने फिर पूछा कि महिला क्यों नहीं है? कहने लगे कि महिला, महिला है, इसलिए नहीं है। यह बड़ा साफ प्रश्न है महिला, महिला है। मैं क्षमा चाहूंगा महिला बहनों से और पुरुष भाइयों से कि एक अंतर पुरुष और महिला में पूरे विश्व में है जोकि महिला को हेय बनाता है और वह इसलिए कि बच्चे महिला के ही पैदा होते हैं। हमारे रास्ते के भइये यानी मैं तर्जुमा कर रहा हूं हमारे मार्ग-बन्धु इनके तो पल्ले कुछ पड़ नहीं रहा होगा।

I think we are not having the English translation.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SATISH AGARWAL): No.

SHRI SANGH PRIYA GAUTAM: I am very sorry.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SATISH AGARWAL): Mrs. Alva also is complaining that there is no English translation.

SHRI SANGH PRIYA GAUTAM: Should I stop or continue?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SATISH AGARWAL): You should continue.

SHRI SANGH PRIYA GAUTAM: Can she follow Hindi?

SHRI VICE-CHAIRMAN (SHRI SATISH AGARWAL): That is a different matter.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRIMATI MARGARET ALVA): Yes, I can.

श्री संघ प्रिय गौतम: तो इसका जो सब से बड़ा कारण है कि महिला के बच्चे होते हैं और हमारे देश का कानून कहता है कि नाबालिग बच्चों की जो नेचुरल गार्डियन है वह मां ही होती है और मां को उनकी परवरिश करनी पड़ती है। इसका सीधा अर्थ है कि वहीं से पुरुष अपने दायित्व से हटने लगता है। पिता नेचुरल गार्डियन मां की अनुपस्थिति में है, मां के होते हुए नहीं है। तो सीधा एक कारण यह है कि पुरुष और स्त्री में ना-बराबरी का प्रारम्भ वहां से होता है। फिर हमारे देश के जितने भी मान्य धर्म ग्रन्थ हैं, चाहे वह कुरान हो, चाहे वह गीता हो, चाहे वह महाभारत हो, चाहे रामायण हो, इनमें बहुत सी अच्छी बाते हैं चाहे वह किसी तरह से, किन्हीं कारणों से एक-दो कहीं दोहे या श्लोक आए हों ऐसे भी है जो स्त्री को हेय बताते हैं। रामायण में लिखा है कि,

"ढोर, गवार, शूद्र, पशु, नारी,
ये सब ताड़न के अधिकारी"

अगर गलत है तो रामायण का संशोधन कर दो, वरना तो सही है। गीता के 9वें अध्याय के 16वें शलोक में कृष्ण ने कहा कि, हे अर्जुन, मेरे नाम को वैश्या, चांडाल और स्त्री भी ले तो वह परम गति को प्राप्त हो जाते हैं। तू तो पुरुष है, मेरा नाम ले तेरा उद्धार होगा। स्त्री को

वहां भी हेय माना गया है। कुरान की दूसरी सूराकी 223वीं आयत में लिखा है कि औरत खेती की तरह है। जैसे कि बुलडोज़र से खेती जोतते हैं वैसे .....(**व्यवधान**)

श्री एस० एस० अहलुवालिया (बिहार): हमारे गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा है कि, "काहे नारी को बुरा आखिए, मंदा आखिए, जिन जम्मे राजान" राजे-राजान वहीं से पैदा हुए। देवी-देवता सारे पैदा हुए, जो योनि में पैदा हुए, नारी के कोख से पैदा हुए। .....(**व्यवधान**)

श्री संघ प्रिय गौतम: कहने को सभी बातें हैं, फिर भी तंदूर कांड हो रहे हैं। तो ऐसा है कि यह हमारे धर्म ग्रन्थों में है। इसके बारे में विचार करना चाहिए। महिला यानी कहां से हेय बनाई गई है। समाज में महिला को घूंघट करना पड़ता है। पुरुष घूंघट नहीं करता। यह पहले से परंपरा है। मुस्लिम समुदाय में उसे पर्दे में रहना पड़ता है। तो जो पर्दे में रहे, जो घूंघट करे वह सर्वदा बैकवर्ड रहेगी, फार्वर्ड नहीं हो सकती, क्योंकि सामाजिक, धार्मिक हमारी मान्यता है। यह महिला चाहे ईसाई हो, चाहे हिन्दू हो, चाहे मुस्लिम महिला हो, महिलाओं का आरक्षण होना चाहिए, चाहे अगड़ी महिला हो चाहे पिछड़ी महिला हो, चाहे सबल या दलित महिला हो, महिलाओं को आरक्षण होना चाहिए। लेकिन महिलाओं की स्थिति और इसके बारे में विचार करना बहुत जरूरी है।

मान्यवर, एक बार बुद्ध के समय में जब संगति हुई तो बुद्ध भी पहले इस विचार के थे कि महिला को संग में स्थान नहीं देना चाहिए, लेकिन जब इस पर .....(**व्यवधान**)

Madam, I want your attention please, Shrimati Alvaji.

सब से पहले जो महिला को बराबरी दी वह गौतम बुद्ध ने दी और ढाई सौ वर्ष का इतिहास है, इससे पहले महिलाओं को समानता का अधिकार किसी ने नहीं दिया। लेकिन उन्होंने भी जब बहुत संगति हुई, वाद-विवाद हुआ, तब बुद्ध ने स्वीकार किया कि महिला को संग में स्थान मिला सकता है और वहां से महिला की बराबरी प्रारम्भ हुई। वह इसके बारे में अपनी रूलिंग को रिज़र्व रखते थे। मान्यवर, मैं यह कहना चाहूंगा कि यह जो परिस्थितियां हैं इससे एक बात निकल करके आई कि महिला के बारे में जो घर में रहने का सोच है और बच्चे होते हैं तो उनकी परवरिश करने की जिम्मेदारी है इसलिए महिला को घर की कामकाजी दक्षता महिला होना भी अनिवार्य है।

शायद मैं समझता हूं कि सामाजिक सोच यह रही होगी और मैं इस बात की पुष्टि कुछ उदाहरण देकर के करना चाहता हूं। हम दिखावटी बातें तो बहुत करते हैं, यह बात सही है कि जैसे-जैसे शिक्षा बढ़ी है महिलाओं में, महिलाएं अध्यापक हुई हैं, वकील हुई हैं, डाक्टर हुई हैं, प्रोफेसर हुई है, एम०एल०ए० हुई है, एम०पी० हुई हैं। वकील है, डाक्टर हुई है, प्रोफेसर हुई है, एम०एल०ए० हुई है, एम०पी० हुई है, आई०ए०एस० हुई है, आई०पी०एस० हुई हैं, लेकिन, उपसभाध्यक्ष जी, यह बात भी सही है कि जैसे-जैसे महिलाएं शिक्षित होती जा रही हैं, पत्नी और पति के संबंध भी उतने खराब होते चले जा रहे हैं और तलाक की संख्या बढ़ती चली जा रही है। ये सरकारी आंकड़े हैं ..(**व्यवधान**)..

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी०एम० सईद): फिर शिक्षित नहीं होने दें?

श्री संघ प्रिय गौतम: मैं इसकी पुष्टि कर रहा हूं, बताऊंगा उसके उपाय क्या हैं। तलाक की संख्या बढ़ती चली जा रही है। चाइना में तीन गुना संख्या बढ़ी है, भारतवर्ष में भी यह बढ़ गई और जितने तलाक के मुकदमे पढ़े-लिखे महिला-पुरूषों के हैं, उतने बगैर पढ़े-लिखों के नहीं हैं, एक तो यह है। दूसरे, हमारे समाज में डाक्टरों ने यह कहा है कि बच्चे को मां के स्तन का दूध 6 महीने या 8 महीने तक मिलना आवश्यक है और बच्चे की परवरिश जितनी अच्छी मां कर सकती है उतनी अच्छी कोई नर्स या दाई नहीं कर सकती। लेकिन नौकरी पाने के बाद हमारी काम-काजी महिलाएं महीने-दो महीने के बाद ही बच्चे को छोड़ देती हैं और दाई या दूसरे लोग उसकी परवरिश करते हैं। तो हमारे बच्चों की परवरिश भी नहीं हो पा रही है ठीक तरह से। तीसरी चीज है, उपसभाध्यक्ष जी, कि बच्चे की सबसे बड़ी गुरु मां है और मां की शिक्षा भी, चूंकि मां काम-काजी है, बच्चों को नहीं मिल पा रही है। इसलिए उनके अभाव में बच्चे नौकरों के ऊपर निर्भर रहते हैं और घर में नौकर कैसे होतें हैं, यह आप जानते हैं कि आज नौकरों का क्या हाल है या तो अशिक्षित होते हैं या ऐसे होते हैं जो उस माहोल में जम नहीं पाते, लिहाज़ा वैसी शिक्षक्ता बच्चों को वह दे नहीं पाते। इस बारे में मैं एक छोटा सा किस्सा आपको बताता हूं। एक अफसर के यहां पर एक मेड सर्वेंट थी और उसका एक नाबालिग बच्चा सुबह खाना लेकर स्कूल में पढ़ने जाता था। एक दिन वह बच्चा खाना नहीं ले गया, अफसर चला गया स्कूल को। उस मेड सर्वेंट की एक रिश्तेदार भी वहां आई थी, उसका भी बच्चा उसी स्कूल में पढ़ता था। वह उस मेड

सर्वेंट की रिश्तेदार से कह गया कि मेरे बच्चे को खाना दे आना स्कूल में। तब उसने कहा कि तुम्हारे बच्चे की पहचान क्या है, मैं तो उसे जानती नहीं तो उसने कहा कि जो बच्चा सबसे ज्यादा खूबसूरत होगा, वही मेरा बच्चा होगा और अफसर यह कहकर चला गया। अब जब वह पब्लिक स्कूल में पहुंची तो वहां सब बच्चे खूबसूरत थे और वह खाना अपनी बहन के, जो रिश्तेदार थी, उसके बच्चे को दे आई, वह काला और चेचक के दाग वाला बदसूरत था। जब आकर अफसर ने पूछा कि तू खाना दे आई तो उसने कहा कि हां दे आई और उस बच्चे को खाना मिला नहीं। तो उसने पूछा कि खाना किसको दे आई? उसने कहा कि मैंने तो अतुल से कहा था कि जो सबसे खूबसूरत हो उसको दे आना, तब वह बोली कि मुझे ते अपने बच्चे से ज्यादा खूबसूरत कोई नज़र ही नहीं आया। लिहाज़ा ..(व्यवधान)..

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRIMATI BASAVA RAJESHWARI): Sir, the English translation is not coming.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SATISH AGARWAL): It has been reported to me that there is some technical fault. So, the English translation is not coming.

SHRIMATI BASAVA RAJESHWARI: How can I note down the points?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SATISH AGARWAL): What do we do then? What is your suggestion?

SHRI SANGH PRIYA GAUTAM: Then, adjourn the House till Monday.

अब तो यही है और कोई तरीका नहीं है।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SATISH AGARWAL): Members have serious complaints.

SHRI SANGH PRIYA GAUTAM: That problem will continue until and unless this technical fault is repaired. ...*(Interruptions)*

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SATISH AGARWAL): The English translation is not available.

SHRI SANGH PRIYA GAUTAM: Should I continue, Sir?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SATISH AGARWAL): Speak in English then.

श्री संघ प्रिय गौतम: अंग्रेजी में न बोलना, यह मेरा सिद्धान्त है।

उपसभाध्यक्ष (श्री सतीश अग्रवाल): फिर आप बोलिए, हिन्दी में ही बोलिए।

श्री संघ प्रिय गौतम: उपसभाध्यक्ष जी, वह महिला अपने रिश्तेदार के बच्चे को खाना दे आई। तो उस अफसर ने आकर पूछा कि मैंने तो तुझसे यह कहा था कि जो खूबसूरत बच्चा हो उसको खाना देकर आना। वह बोली कि मुझे तो सबसे ज्यादा खूबसूरत मेरी बहन का—मेरे रिश्तेदार का ही बच्चा लगा। तो नौकरों का यह हाल है। तो जब कामकाजी महिलाएं घर पर नहीं रहती और उनके छोटे बच्चे नौकरों पर निर्भर करते हैं, उनको वह शिक्षा भी नहीं मिलती—जो सामाजिक शिक्षा और घर की शिक्षा है। इसलिए आज भले ही बच्चे पढ़ने में होशियार हों और साईंस टैक्नौलोजी में 90, 95 और 99 प्रतिशत नम्बर ला रहे हों, लेकिन आजकल के बच्चों का सामाजिक सोच बिल्कुल ही बदलता जा रहा है। समाज निर्माण में और समाज में जो मान्यताएं थीं—आदर की, प्रेम की, सम्मान की, व्यवहार की वह आज के बच्चों में नहीं है। चाहे वह आई०ए०एस० के बच्चे हों, चाहे वह एम०एल०एज०, एम०पीज० के बच्चे हों। मुझे बड़ा तजुर्बा है, मैं रोज़ाना आज के बच्चों को देखता हूं। तो महिलाओं की एक कमी यह भी आ रही है। तीसरी बात, जो समाज में आज बहुत जरूरी है कि मानव मूल्यों का ह्रास होता चला जा रहा है। यदि मानव मूल्यों की प्रस्थापना नहीं हुई या गिरते हुए मानव मूल्यों को नहीं रोका गया तो कितने ही कानून बना लीजिए उन कानूनों से किसी का हित, कल्याण और विकास होने वाला नहीं है। तो हम यह कानून बना दें महिलाओं के लिए और दूसरी तरफ यह हाल हो कि बराबर बलात्कार महिलाओं के साथ होंगे, दफ्तरों में महिलाओं के बारे में हम सुनते हैं। बिहार में भी सुना, दूसरे स्टेट में भी सुना कि मिनिस्टर्स अपने स्टेनोज के साथ भी गलत व्यवहार करते हैं। हमने यह भी सुना कि कामकाजी महिलाओं के साथ अफसर गलत व्यवहार करते हैं। जो पौलिटिशियंस कर रहे हैं, अभी ललितपुर में, आपके सागर में जिले की एक कांग्रेस महिला अध्यक्षा की हत्या करके उसको मगरमच्छ को खिला दिया गया। अभी आपने यह भी देखा कि राज्य सभा के मेंबर के यहां एक महिला की हत्या हो गई। तो एक तरफ तो महिलाओं के साथ बलात्कार, उनकी हत्याएं, तलाक और उनके साथ गलत

व्यवहार और उनका चरित्र हनन और दूसरी तरफ हम उनके आरक्षण की बात करें, तो यह दोनों बातें एक दूसरे से मेल नहीं खाती हैं। हम उनको आरक्षण दे दें,—किसलिए? साइमलटेनियसली, हमें अपना व्यवहार और सोच भी बदलना पड़ेगा। अपना जो साहित्य है उसमें भी संशोधन और परिवर्तन करना पड़ेगा। मैं क्षमा चाहूंगा, हमारे यहां मां का कितना सम्मान था। डी०टी०सी० बसों में सीटों पर लिखा रहता था—महिला और विकलांग। लोग अपने-आप जगह छोड़ देते थे। अब महिलाएं खड़ी रहती हैं और पुरुष बैठे रहते हैं उन सीटों पर। एक तरफ हमारा यह चरित्र है। यदि बच्चे वाली महिला सफर कर रही हो तो हम उसको भी सीट नहीं देते हैं। एक तरफ हमारा यह आचरण हैं। चूंकि इसमें समाज से भी अपील की है, हमें अपने समाज का सोच, समाज का आचरण बदलना पड़ेगा महिलाओं के प्रति।

अकेली शिक्षा से और अकेली नौकरी से महिला समाज में बराबर नहीं आ जाएगी। आर्थिक बराबरी से समाज में बराबरी नहीं ला सकती। मुझे बाबू जगजीवन राम जी की बात याद है। इतने बढ़िया प्रशासक, जो विभाग उनको दिया गया उसी में सफल हुए। उनका जीवन में आठ बार अपमान हुआ और आखिरी बार जब वे भारत के उप प्रधान मंत्री थे और डा० सम्पूर्णानन्द की मूर्ति का अनावरण करने काशी विद्यापीठ गए। तो बाद में उस मूर्ति को गंगाजल से धोया गया। यह स्वमान्य सत्य है।

श्री ईश दत्त यादव: आपकी पार्टी वालों ने किया।

श्री संघ प्रिय गौतम: किसी ने किया हो, पार्टी की बात नहीं है। बाबू जगजीवन राम जी पढ़े-लिखे भी थे, बी०एस०सी० थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, देशभक्त थे और बेहतरीन प्रशासक थे। लेकिन समाज ने उन्हें बराबरी नहीं दी। .....**(व्यवधान)**..... आपने, कांग्रेस ने क्योंकि सरकार कांग्रेस की रही है और ये सारी जितनी भी खराबियां समाज में हैं, ये इनकी देन हैं, चतुर्वेदी जी की और इनकी सरकार की देन है। जितने आज देश में अपराध बढ़े हैं, व्यभिचार बढ़े हैं, बलात्कार बढ़े है, चोरियां बढ़ी हैं, डकैतियां बढ़ी हैं, हत्याएं बढ़ी हैं, नग्न तस्वीरों के प्रदर्शन बढ़े है और ये जो आज फिल्में हैं, ये सब इनकी देन हैं, इनकी सरकार की देन है। आपने क्या कार्रवाई की उनके खिलाफ और जिन्होंने किया, मेरी पार्टी के थे तो आपने क्यों नहीं जेल में बंद किया? मैं एक बात कह रहा हूं, इनकी बात कह रहा हूं। कोई किसी पार्टी के नहीं थे।

उपसभाध्यक्ष (श्री सतीश अग्रवाल): आप बोलिए, अपनी बात बोलिए। ये आपको नहीं छेड़ेंगे अब।

श्री संघ प्रिय गौतम: छेड़ने की तो कोई बात नहीं है। अगर छेड़ें तो बेहतर है

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री **(श्री भुवनेश चतुर्वेदी):** छिड़ने लायक हैं भी नहीं ये।

श्री जगदीश प्रसाद माथुर (उत्तर प्रदेश): ये छिड़ने के लिए तैयार हैं।

श्री संघ प्रिय गौतम: मैं छिड़ने को तैयार हूं। तो मैं यह निवेदन कर रहा था कि मानसिकता बदलनी पड़ेगी, महिला के प्रति मानसिकता हमारी अच्छी नहीं है इस देश में और इक्का-दुक्का मैं किसी व्यक्ति की बात नहीं कहता, समाज के किसी वर्ग की मानसिकता महिला के बारे में अच्छी नहीं है तो पहले तो अपनी मानसिकता को बदलिए। दूसरे अपने आचरण को बदलिए, तीसरे अपने ग्रंथों का संशोधन करिए। अगर बकरी की चार टांगें हैं और सामने चार टांगें दिखाई दे रही हैं और धर्मग्रंथ में अगर तीन टांग लिखी हुई हैं तो उस तीन टांग को मत मानो, वह जो व्यावहारिक है, उसे मानो। हमारे यहां ऐसे धर्मांध लोग हैं कि जो उनके धर्मग्रंथ में लिखा गया, उसके खिलाफ वे सत्यता को स्वीकार करने को तैयार नहीं हैं और जब इसी सदन में चर्चा होती है तो एक तरफ से ऐपीज़मेंट की यहां पर ढोलक बजती है, सब लोग समर्थन करते हैं बकरी की तीन टांग लिखी हुई है तो। सबसे पहले उनका संशोधन करिए।

श्री एस.एस.अहलुवालिया: माथुर जी, सबसे पहले भगवद्गीता का संशोधन इन्हीं से करवा लीजिए। .....**(व्यवधान)**..... इनसे करवाइए।

श्री संघ प्रिय गौतम: एक बात सुनिए। अहलुवालिया साहब, आप एक बात सुन लीजिए। जब मैं बोलता हूं, मैं भारत के नागरिक के नाते बोलता हूं।

श्री जगदीश प्रसाद माथुर: पहले ये बता दें कि भगवद्गीता में कौन सा संशोधन करना है। .....**(व्यवधान)**.....

श्री संघ प्रिय गौतम: माथुर साहब, मैं बताऊं आगे सुनिए।

श्री एस.एस. अहलुवालिया: मैंने क्वोट किया है।

श्री संघ प्रिय गौतम: क्वोट मैं भी कर रहा हूं। पहली बात तो यह है कि मैं भारतीय हूं, दूसरे मैं मनुष्य

हूं, मानव हूं और आप सिर्फ कन्ज़र्वेटिव हैं और मैं आपके बारे में कहूं कि गुरु ग्रंथ साहब तो सब गुरुओं की वाणियों का संगम है। उसमें रविदास की भी वाणी है, उसमें कबीर की भी वाणी है और कबीर ने तो यह कहा कि—

"कांकर-पाथर जोरि के मसजिद लई बनाय।
तां पर मुल्ला बांग दे क्या बहरो हुआ खुदाय।।"

कबीर ने तो यह कहा। और कबीर ने तो यह भी कहा कि—

"तू कहता कागद की लेखी, मैं कहता आंखिन की देखी"

तो बोलो आंखों की देखी सही है या कागद की लेखी सही है? आप कागद की लेखी सही मानते हैं और वकालत करते हैं। तो कबीर की वाणी उसमें है, रविदास की वाणी है। रविदास ने कहा—

"रविदास जन्म के कारण होत न कोई नीच।
नर को नीच कर डारि है ओके कर्म की कीच।।"

उपाध्यक्ष (श्री सतीश अग्रवाल) वे भाषण कन्क्लूड कर रहे थे अहलुवालिया जी, आपने फिर उनको छेड़ दिया।

श्री एस.एस. अहलुवालिया: वे ज्ञान की बातें बता रहे हैं।

उपसभाध्यक्ष (श्री सतीश अग्रवाल): यह छेड़खानी हाऊस में बंद करिए।....खत्म करिए गौतम जी, आप समाप्त करिए।

श्री संघ प्रिय गौतम: उपसभाध्यक्ष जी, मैं समाप्त कर रहा हूं। इनको ज्ञान देना भी ज़रूरी है और मैं अकेला पार्लियामेंटेरियन थोड़े ही हूं। पहले तो मैं अध्यापक भी रहा हूं और धर्म का प्रचारक भी रहा हूं।

श्री एस.एस. अहलुवालिया: मालूम है।

श्री संघ प्रिय गौतम: तो मैं निवेदन आपसे यह कर रहा था कि नौकरियां महिलाओं को देने से महिलाओं को आर्थिक बराबरी, सामाजिक बराबरी नहीं मिलेगी और नौकरियां देने का जहां तक प्रश्न है, कोई अलग से महिलाओं को नौकरियों की व्यवस्था करने की जरुरत नहीं है। अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण है, उन्हीं में से उनकी महिलाओं को, जैसे आज पंचायतों के चुनाव में किया है, पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण है, उनमें से पिछड़ी जाति की महिलाओं को और बाकी सामान्य में सामान्य महिलाओं को कोई अलग से कानून नहीं बनाना पड़ेगा इसके लिए, संविधान नहीं बनाना पड़ेगा, अलग से 50 परसेंट से ऊपर नहीं जाना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदलना नहीं पड़ेगा जैसे कि पंचायतों के चुनावों में किया है। लेकिन मैं फिर आपके माध्यम से ज्यादा लंबी बात न कह करके यही निवेदन करना चाहूंगा कि महिलाओं को नौकरियों के साथ और उसके अलावा हमें उन्हें काम-धंधों में बराबरी की हिस्सेदारी देनी चाहिए।

कोटा, लाइसेंस, परमिट, एजेंसियां, दुकान आदि में हिस्सेदारी होनी चाहिए। अभी इन्होंने कुछ विरोधाभास की बात भी कही। अगर मैं गलत नहीं हूं तो 25 वर्ष तक इजरायल में प्रत्येक महिला को आर्मी की शिक्षा आवश्यक है, हथियार चलाना आवश्यक है। इसीलिए आपको पता है क्या हाल इजरायल ने किया अपने से सौ गुणा अधिक तादाद वाले लोगों का 25 साल तक महिला आर्मी में रहे आवश्यक रूप से। हमारे यहां इसमें यह कहा गया है कि सब्जेक्ट टु द अप्रूवल आफ द पार्लियामेंट। अगर पार्लियामेंट चाहे तो किसी जगह आरक्षण नहीं भी कर सकती है। यह क्या बात हुई? महिलाओं का आरक्षण हो तो सब जगह हो। इजरायल में लड़कियां गोलियां चला सकती हैं बराबर। हमारे यहां एन०सी०सी० में लड़कियां जाती हैं। क्या वह पैराशूट से कूदती नहीं? मेरी डाटर-इन लाा, पुत्रवधू के पास एन०सी०सी० का "सी" सर्टीफिकेट है। वह पैराशूट से कूदी है। शी इज फर्स्ट क्लास शूटर। लड़कियां एन०सी०सी० में हैं और वहां बन्दूक चलाती हैं। इसलिए मैं कहता हूं अगर आरक्षण हो तो सब जगह हो। चाहे अनुसूचित जाति का हो या कहीं और हो, जहां आरक्षण की व्यवस्था है उन सब जगह पर आरक्षण होना चाहिए। हां, अगर इनएफिशियंट पाई जाती है तो निकाल दिया जाए। लेकिन मैंने देखा है कि आरक्षण कोटे का व्यक्ति इनएफिशियंट के नाम से नहीं हटाया गया। मैं यहां देखता हूं इसलिए कहता हूं यहां दो तरह की भाषा नहीं होनी चाहिए। इसमें यह थोड़ी सी कमी है। महिलाओं की दक्षता में कहीं कोई कमी नहीं है जैसा मैंने आपको उदाहरण दिया। मेरी स्थिति तो इस तरह की है जो मैं आखिरी लाइन में कह रहा हूं:

चुप खड़े हैं दरम्याने काबाओ बुतखाना हम,
किस को कह दें, कैसे कह दें, क्यों कह दें, अफसाना हम।

आरक्षण का समर्थन न करें तो 50 परसेंट महिलाओं का मत है और मत का बड़ा महत्व है लोकतंत्र में क्योंकि मतों से ही सरकार बनती है। आरक्षण का समर्थन करें

तो आरक्षण तब कर पायेंगे जब या तो यह सरकार करे, हमारा सहयोग ले ले और यह न करे तो हम उधर आकर बैठ जायें तब करेंगे। मैं सैद्धांतिक दृष्टि से इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री एस०एस० अहलूवालिया: उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक की मूल भावना का समर्थन करता हूं। वीणा वर्मा जो यह विधेयक लाई हैं—सरकारी सेवाओं में महिलाओं के लिए पदों का आरक्षण विधेयक, 1994 तो जब मैं संविधान की तरफ देखता हूं तो मुझे इस विधेयक और संविधान में थोड़ा विरोधाभास नजर आता है। संविधान के अनुच्छेद 15 के तहत लिंग के आधार पर कोई विभेद नहीं होना चाहिए और उसको अगर आधार माना जाए तो पुरुष और नारी दोनों भारतीय संविधान में या भारतीय संविधान के बनाने वाले पूर्व पुरुषों ने समान गारण्टी दी हुई है। हमारी सामाजिक व्यवस्था के कारण कोई आगे चल रहा है और कोई पीछे चल रहा है वह दूसरी बात है। पर इस समान गारण्टी के तहत ऐसा महसूस होता है कि विधेयक द्वारा वीणा जी पुरुष और स्त्री के बीच में एक बड़ी खाई खोदना चाहती है जो नहीं खोदनी चाहिए क्योंकि नारी और पुरुष हमारे सामाजिक जीवन की एक ऐसी बैल गाड़ी को दो चक्के हैं जो अगर समान चलें तो घर चल सकता है और अगर न चलें तो घर नहीं चल सकता है।

उपसभाध्यक्ष महोदय, जहां तक सरकारी नौकरियों में आरक्षण का सवाल है, बहुत पहले ही हम इसमें बहुत आगे बढ़ चुके हैं। अनुसूचित जाति के लिए 15 प्रतिशत, अनुसूचित जन-जाति के लिए 7.50 प्रतिशत, पिछड़े वर्ग के लिए 27 प्रतिशत और अभी तो कहीं कहीं मांग चल रही है कि इसको भी दे दीजिए, उसको भी दे दीजिए, उसको भी दे दीजिए। किसी को 10 प्रतिशत, किसी को 5 प्रतिशत, किसी को 15 प्रतिशत और इसका हिसाब अगर जोड़ा जाए तो लगता है कि 100 से यह ज्यादा भाग जाएगा। कई कई राज्यों में वास्तव में अभी भी 80 प्रतिशत का, 70 प्रतिशत का रिजर्वेशन है। सवाल आता है कि स्त्री और पुरुष को कहां से अलग कर दिया जाए। जब आई०ए०एस० का इम्तिहान होता है, यू०पी०एस०सी० में बैठते हैं तो उस समय कोई विभेद नहीं। उस वक्त विचार किया जाता है आर्टिकल 15 का। जब पब्लिक सर्विस कमीशन में परीक्षा के लिए बैठते हैं, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में बैठते हैं तो वहां पर भी यही और स्टेट सलेक्शन बोर्ड में भी यही बात है। मैं दूर नहीं जाता, मैं अपने इसी सदन की बात करता हूं। मैं आज से दस साल पहले इस सदन का सदस्य बना था। उस वक्त यहां पर जो काम करने वाले लोग थे, अपने चारों तरफ उनमें महिला सिर्फ संसद सदस्या हुआ करती थी, महिलायें सिर्फ वही नजर आती थी। यहां टेबल पर कोई महिला अफसर नजर नहीं आती थी न कमरों में कोई नजर आती थी और न ऊपर कोई नजर आती थीं। लेकिन मैंने पिछले दस सालों में इस उन्नति को देखा है और आज हमारी राज्य सभा की सेक्रेटरी जनरल महिला हैं, हमारे राज्य सभा सचिवालय की डाइरेक्टर महिला है, आज हमारे भाषान्तरकार, इन्टरप्रेटर्स जो हैं उनमें भी महिलाओं की संख्या ज्यादा है। आज हमारे सुरक्षा-कर्मी भाइयों के साथ हमारी सुरक्षा-कर्मी बहनें भी हैं। पत्रकार गैलेरी में भी महिलाओं की संख्या बढ़ रही है। आफिसर्स गैलरी को देखें तो वहां भी उनकी संख्या बढ़ रही है। क्या ये किसी रिजर्वेशन के माध्यम से आए हैं? मेरा कहने का मतलब यह है कि ये किसी रिजर्वेशन से नहीं आए हैं। जब जब हम पश्चिमी देशों के आचरण से, पश्चिमी देशों के संस्कार से अपने को मिलाने की कोशिश करते हैं तब तब हम धोखा खाते हैं। हमारे देश की एक संस्कृति है। हमारे पूर्व वक्ता ने तो बहुत सारे वेद, पुराण सुना दिए। मैं गुरु ग्रंथ साहब की एक बात सुनाना चाहता हूं:

"तिस नारी को मंदा काहे आखिए जिन जन्मे राजे और राजा।"

तो हर योनि से पैदा होने वाला इंसान या मानव किसी न किसी मां का बेटा होता है। तो फिर उस मां को कैसे भुला जा सकता है? जिस का पुरुष, जिसका बच्चा वास्तव में लौह पुरुष के रूप में विद्यमान है तो उसको जनने वाले स्त्री है। वह जननी है, उसको जननी कहा गया है। उसे कहीं जननी के रूप में माना गया है, उसे कहीं अर्धांगिनी के रूप में सारे अधिकार दिए गए हैं और उसको कहीं अन्नपूर्णा कह करके घर का मालिक बनाया गया है। हमारे पूर्व वक्ता कह रहे थे कि बच्चे का टिफिन पहुंचाना है तो नौकर या नौकरानी को कहो। लेकिन जिस घर में बच्चे की मां हो, तो उसको टिफिन पहुंचाने की जरूरत नहीं पड़ती। वहां मां सुबह उठकर बच्चे के लिए जंक फूड पैक नहीं करती और न सैंडविच बनाकर ही देती है। वह बच्चे के लिए बकायदा खाना बनाकर देती है और नाश्ता कराकर भेजती है। चाहे वह गरीब की मां हो, चाहे अमीर की मां हो, मां मां है। उसका स्थान, मैं यह नहीं कहता कि केवल चाहरदीवारी के अंदर बंद हो। लेकिन जहां तक रिजर्वेशन का सवाल है क्या रानी झांसी किसी रिजर्वेशन के कोटे से आगे आयी थी? मीरा बाई प्रभु के आनन्द में विभोर होकर

वैराग्य में जागती हुई जीते जागत ब्रह्मा के दर्शन करके मोक्ष को प्राप्त करती है। यह किसी रिजर्वेशन कोटे में नहीं है।

ऐसी बहुत सारी हमारी धार्मिक और सामाजिक वीरांगनाओं की कथाएं हैं जहां पर उनका बहुत बड़ा दान है। जिस देश में अभी भी ...**(व्यवधान)** मैं यह नहीं कहना चाहता क्योंकि मैंने सदन में एक बार इनको अबला कह दिया तो जितनी भी महिला सदस्य है उन्होंने मेरे से मेरी बात वापिस ली कि वे अबला नहीं हैं, हमें अबला कह कर मत पुकारिये मैंने कहा कि जब आप यह कहती हैं कि अबला कह कर मत पुकारिये तो फिर आज रिजर्वेशन क्यों मांग रहे हैं? आप आर्टिकल-15 के तहत हमारे कंधे से कंधा मिला कर, कदम से कदम मिला कर चल रही हैं, चलती आई हैं और आगे भी चलती रहेंगी। स्वाधीनता संग्राम का इतिहास आप देख लीजिए। महात्मा गांधी के साथ उनकी पत्नी, जयप्रकाश नारायण के साथ उनकी पत्नी, आचार्य कृपलानी के साथ उनकी पत्नी ने कंधे से कंधा मिला कर ब्रिटिश साम्राज्यवाद की गोलियों का सामना करते हुए लाठियों का सामना करते हुए इस मुल्क की आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा लिया। हम इनको कैसे कह सकते हैं? वह कमज़ोर नहीं हैं। उनके दिल में यह भावना जगा देना कि हमें आरक्षण चाहिये, उन्हें कमज़ोर बनाना है। मैं नहीं चाहता कि उन्हें किसी भी तरह से कमज़ोरी का आभास हो क्योंकि उन्हें हमारी आने वाली पुश्तों को जन्म देना है। हमारी आने वाली पुश्तों को पालना है। उनको वात्सल्य दिखाना है, उनको किशोरावस्था को दिखाना है, उनको एक ऐसा उज्जवल भविष्य दिखाना है या उनको ऐसा भारत का नागरिक बना कर दिखाना है जो नागरिक कमर टेढ़ी कर के नहीं, सिर नीचा कर के नहीं बल्कि सिर ऊंचा कर के, कमर सीधी कर के कह सकेगा कि गर्व से कहो कि हम सब भारतवासी हैं। वह यह तभी कह सकेगा जब उसकी मां, उसका बाप, उसके भाई-बहन अपने अधिकार, अपनी शक्ति और अपने संस्कारों की रक्षा करते हुए आगे बढ़ेगें। किसी की भीख की डोल पर नहीं, किसी के आरक्षण के माध्यम से नहीं। हमने बहुत लम्बे-लम्बे आरक्षण कर लिये परन्तु अभी तक शैड्यूल्ड कास्ट और शैड्यूल्ड ट्राइब्स कोटे का बैकलाग पड़ा रहता है। लोग मिलते नहीं हैं। इसका मूल कारण क्या है? इसका मूल कारण यह है कि अगर वाकई में आरक्षण से किसी को ऊँआप ऊपर लाना चाहते हैं तो सब से पहले उनको आप शिक्षा दीजिये, उनको शिक्षा का लाभ दे कर इस चीज़ के योग्य बनाइये ताकि वह उत्तीर्ण हो सकें, उभर कर सामने आ सकें लेकिन वह रास्ता नहीं मिल रहा है। उपसभाध्यक्ष महोदय, आज भी हमारे देश में अंध-विश्वासों का इतना कुछ चलता है कि सती प्रथा का समर्थन करने वाले दल भी हमारे यहां है। बुरा नहीं मानेंगे, हमारे पूर्व वक्ता अभी भगवद् गीता कोट कर रहे थे, कुरान कोट कर रहे थे, रामायण कोट कर रहे थे मैं तो कहता हूं उसमें परिवर्तन लाइये। आपको कुछ नज़र आया है तो संशोधन कर डालिये परन्तु दुर्भाग्य इस बात का है कि उन्हीं के दल की सिंधिया जी, राजमाता सिंधिया जी ने सब से पहले बयान दिया सती प्रथा के हक में...**(व्यवधान)**

श्री संघ प्रिय गौतम: उपसभाध्यक्ष महोदय, मुझे एक आपत्ति है **(व्यवधान)** आप बगैर नाम के कह सकते हैं। यह परंपरा भी ग्रन्थों की देन है। सती प्रथा कोई फायदे की नहीं है **(व्यवधान)** भारतीय जनता पार्टी तो आज बनी है, सती प्रथा सदियों से चली आ रही है। यह कहां से आई? कोई भाजपा ने पैदा की है? आप अनर्गल बात कर रहे हैं **(व्यवधान)**

श्री एस०एस० अहलुवालिया: उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं तो ऐसी बात नहीं कहता। नारी को सम्मान का रूप दिया जाता है। आपने भी वेद पुराण पढ़ कर सुना दिया। वहां यह लिखा है "यत्र नार्यस्ते पूजयन्ते रमन्ते तत्र देवता"। थोड़ी देर के लिए-एक क्षण में सृष्टि हो जाती है। थोड़ी देर के लिए ही। एक क्षण में ही सृष्टि होती है और एक क्षण में ही विनाश होता है। क्षणिक जो सम्मान है, वही सम्मान है।

उपसभाध्यक्ष महोदय, आज हमारी सरकार, भारत सरकार के जो नये प्रोग्राम्स हैं उनके माध्यम से नौसेना में, वायुसेना में और सेना में भी महिलाओं की भर्ती करने के रास्ते खोले गए हैं अभी एक एडमिनिस्ट्रेटिव आफिसर जैसे लिये जा रहे हैं उसके बाद से और जगह भी उनकी शुरुआत हो रही है। पर मैं इस आरक्षण के इस मसौदे को, वीणा जी को सुझाव देना चाहूंगा कि वापस ले लें सबसे पहले महिलाओं में जागृति लाने की कोशिश करें...**(व्यवधान)**

श्रीमती मारग्रेट आल्वा: हां, हां। दो हजार साल तक यही करते रहेंगे हम लोग।

श्री एस०एस० अहलुवालिया: अभी एक प्रश्न जगा कि महिलाओं को पर्दे में रखा जाता है। क्यों पर्दे में रखा जाता है ...**(व्यवधान)**

श्रीमती मारग्रेट आल्वा: पंचायतों में 8 लाख आई हैं रिजरवेशन से ..**(व्यवधान)**

SHRI V. NARAYANASAMY (PONDICHERRY): Sir, I would like to know whether he will go to his house today or not.

श्रीमती मीरा दासः आप जैसे लोगों के लिए ऐसा हुआ है।

श्रीमती मारग्रेट आल्वाः बहुत युगों से पर्दे में रखा है। कोई प्राब्लम नहीं है।

श्री एस०एस० अहलुवालियाः ये जो कह रहे हैं कि मैं घर जाउंगा कि नहीं। मैं तो घर जरुर जाउंगा। मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं जब स्कूल में पी०टी०ए० मीटिंग में जाता हूं तो वहां जो एक हेड मिस्ट्रेस हैं वे लाल पीली होकर पेरेंट्स को डांट रही होती हैं और कुछ पेरेंट् की प्रशंसा कर रही होती हैं। क्या कहती होती हैं। पहली बार मैं भी नहीं समझ सका कि क्यों डांट रही है इतना। तो मेरी धर्म पत्नी ने बताया कि यह रज है। तब मैंने उसको समझा कि बात सही है।

उपसभाध्यक्ष (श्री सतीश अग्रवाल): आपको डांट रही थीं या धर्मपत्नी को?

श्री एस०एस० अहलुवालियाः नहीं, नहीं। किसी और को डांट पड़ रही थी। मैंने पूछा कि क्यों डांट रही हैं, क्यों लाल पीली हो रही हैं...**(व्यवधान)**

क्या डांट रही थी, क्यों वह डांट रही थीं कि आप लोगों को इतना भी होश नहीं रहता क्योंकि दिल्ली शहर में 85 परसेंट स्कूल मार्निंग के हैं — कि आपके बच्चे जब स्कूल आ रहे होते हैं तो आपने उसके टिफिन में क्या डाला है। आपने रात को बना हुआ बासी खाना डाल दिया। आपने जो रात का बचा हुआ खाना है वह डाल दिया। वह खाकर बच्चा बीमार हो जाता है या उसको कोई ताकत नहीं मिलती और सो जाता है। यह उनके पेरेंट्स ने स्वीकार किया है अपनी टीचर्स के सामने। वे पूछती है आप क्या करती है। मदर से पूछती हैं आप क्या करती हैं तो वे कहती है कि में फ्लानी जगह नौकरी करती हूं। यही कारण है। पिता से पूछती है आप क्या करते हैं।

श्रीमती मारग्रेट आल्वाः तो प्रिंसिपल कैसे स्कूल में आ जाती हैं अपने बच्चों को छोड़कर।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SATISH AGARWAL): Mr. Ahluwalia, it seems that you have come fully prepared.

SHRI V. NARAYANASAMY: He has come prepared even not to go back to his house today.

श्री एस० एस० अहलुवालियाः वह मिशनरी स्कूल है। उसकी शादी नहीं हुई है।

ऐसा होता है और इसका प्रमाण है। इसलिए में कह रहा हूं। बड़ी तकलीफ होती है, दुख होता है कि नन्हे जिनको मां का वात्सल्य चाहिए। जिस वात्सल्य अवस्था में उसे मां का प्यार चाहिए, मां की ममता चाहिए, जब वह सुबह उठकर अभी तैयार नहीं हुआ होता है, मां कहती है, तू जल्दी तैयार हो ले क्योंकि मुझे भी तैयार होना है। तू स्कूल की तरफ भाग में दफ्तर की तरफ भाग रही हूं। पति भी बेचारा चला जाता है काम पर। अब कई पति ऐसे भी हैं कि वे घर पर रहते हैं और पत्नियां काम करती है।.....**(व्यवधान)**

श्रीमती मारग्रेट आल्वाः बस-बस, तुम्हारे जैसे।.....**(व्यवधान)**

श्री एस० एस० अहलुवालियाः तो भारतीय संस्कृति के अनुसार, महोदय, मैं नारी को सौभाग्यवती मानता हूं, ऐश्वर्याशालिनी मानता हूं, धार्मिक अनुष्ठानों में सहधर्मिणी मानता हूं, नारी को मैं अर्दांगिनी मानता हूं, उसको मैं अपने घर की अन्नपूर्णा मानता हूं और जिस तरह से कहा कि पर्दे में क्यों रखा जाता है तो यह हमारा संस्कार है, आदमी हर वक्त अपनी पसंद की चीज़ को, अपनी अच्छी चीज़ को छुपाकर रखना चाहता है। .....**(व्यवधान)**

श्रीमती मारग्रेट आल्वाः अब महिला आदमी की चीज़ हो गई।.....**(व्यवधान)** हम इन लोगों की चीज़ हो गई है।.....**(व्यवधान)** What is he talking? *(Interruptions)*. There must be some limitation. This is not a subject .....*(Interruptions)*. I am sorry. This subject is being treated as if it is some kind of a joke or some kind of a.....*(Interruptions)*. I am sorry. I take very serious objection to the remark which has been made in the House. *(Interruptions)*. This is not the culture of the Congress. *(Interruptions)*. I think some amount of seriousness and respect should be shown for women in this House which is the House of Elders. I take very serious objection to the remark which has been made in the House.

SHRIMATI MIRA DAS (ORISSA): It is a very serious issue. (*Interruptions*).

श्री जगदीश प्रसाद माथुर: मेरी यही प्रतिक्रिया है अहलुवालिया जी.....**(व्यवधान)**

SHRIMATI MARGARET ALVA: What is this? I am sorry. I am not going to pilot this Bill. (*Interruptions*).

श्री एस० एस० अहलुवालिजा: अरे बैठिए भाई, आपको समझ नहीं आ रहा है। आपके लिए ओवरहैड ट्रांसमिशन है।.....**(व्यवधान)**

SHRIMATI MARGARET ALVA: This is not the way.

श्री एस० एस० अहलुवालिया: उपसभाध्यक्ष महोदय, मुझे आप एक बात बता दें.....**(व्यवधान)**

SHRIMATI MIRA DAS: It has become a laughing-stock.

श्री एस० एस० अहलुवालिया: क्या ऐश्वर्यशालिनी कहना खराब है, सौभाग्यवती कहना खराब है, अदांगिनी कहना खराब है, अन्नपूर्णा कहना खराब है, हम नहीं पुकारेंगे इस नाम से.....**(व्यवधान)** आप रेज़ोल्यूशन पास करें कि आप इस नाम से मत पुकारिए।.....**(व्यवधान)**

SHRIMATI MARGARET ALVA: Sir,.....(*Interruptions*). If this is the attitude, i will not pilot this Bill. (*Interruptions*). I am leaving the House. Let the members.....(*Interruptions*). I am going from the House. I am not prepared to pilot this Bill. Shrimati Veena Verma is not here. I am not prepared to pilot this Bill. (*Interruptions*). I am leaving the House. (*Interruptions*).

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SATISH AGARWAL): I would request Shri Ahluwalia not to create unnecessary heat in the House.

श्री एस०एस० अहलुवालिया: उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं जो चीज़ कह रहा था उसको सुनिए पहले और अगर उसके बाद सोचते है कि अनपार्लियामेंटरी है तो मैं विदड्रा कर लूंगा।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SATISH AGARWAL): I am not saying, it is unparliamentary. But, it has hurt some lady Members of the House. Shrimati Margaret Alva has taken a very strong objection to it. Please don't annoy the lady Members.

SHRI S.S. AHLUWALIA: I am not annoying anybody. What I am saying is

मैं अपनी धर्मपत्नी को अर्दांगिनी समझता हूं, ऐश्वर्याशालिनी समझता हूं, सौभाग्यवती समझता हूं धार्मिक अनुष्ठानों में सहधर्मिणी समझता हूं। क्या अन्याय है? फिर आगे मैं कह रहा था कि हर आदमी अपनी चीज़ को जो सुन्दर है, जो शक्तिशाली है उसको छिपा कर रखना चाहता है। तो उसमें क्या है, कौन सी चीज़ ऐसी बताई जो कि आप नाराज़ हो रहें हैं?.....(व्यवधान)

श्रीमती मीरा दास: आपने कहा चीज़ है उसको छिपा कर रखना चाहते है। .....**(व्यवधान)** आप जैसे नहीं है.....**(व्यवधान)**

श्री एस० एस० अहलुवालिया: मैंने किसको चीज़ कहा.....**(व्यवधान)**

श्रीमती मीरा दास: कमोडिटी है क्या?..... **(व्यवधान)** आपके लिए लेडी एक चीज़ है।..... **(व्यवधान)**

Woman is not a Commodity. (*Interruptions*).

श्री एस० एस० अहलुवालिया: मैं अपनी पत्नी को अगर उसका प्रदर्शन नहीं चाहता तो क्या आप जबर्दस्ती करेंगे? आप जबर्दस्ती हमको उसका प्रदर्शन करेंगे (.....**व्यवधान**) मैं अपनी धर्मपत्नी के बारे में कह रहा हूं।.....**(व्यवधान)** आप मेरी धर्मपत्नी नहीं है। **(व्यवधान)**

It is not a joke. These are all Sanskrit words .....(*Interruptions*).....

श्री संघ प्रिय गौतम: उपसभाध्यक्ष जी, ऑनरेबल अल्वा जी इस की बात पर प्रोटेस्ट में बाहर चली गयी हैं। इनको माफी मांगनी चाहिए। महोदय, अल्वा जी चली गयी है।

श्री एस०एस० अहलुवालिया: उनको काम है, उन की मीटिंग है इसलिए गयी हैं।

SHRIMATI BASAVA RAJESHWARI: Do you mean to say that if they go to work, they will have no love and affection for their children?.....(*Interruptions*)..

SHRI S.S. AHLUWALIA: I am talking about the PTA meeting. I am not accusing you.....(*Interruptions*).......of not having love and affection. I have got a full right to express my views. What I gathered in the PTA meeting I have explained.........(*Interruptions*)....

उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदया गृह मंत्रालय से युक्त हैं, वे नाराज हो गयी हैं। वे पब्लिक ग्रीवेंस और एडमिनिस्ट्रेटिव विभाग की मंत्री हैं, वह मेरे कथन पर नाराज हो गयी हैं। नॉर्थ ब्लाक में गृह मंत्रालय के अंदर एक महिला कर्मचारी के साथ एक पुरुष अधिकारी बलात्कार करता है, वहां तो संरक्षण दे नहीं सकते और हमे कह रहे हैं कि हम अपनी पत्नी का प्रदर्शन करे हम कैसे करें? ....,...(व्यवधान).... मैंने इतना ही कहा है कि हम सुंदरता का, शक्ति का और संपत्ति का प्रदर्शन नहीं चाहते। हम नहीं चाहते।........(व्यवधान).....

श्री जलालुदीन अंसारी (बिहार): उपाध्यक्ष महोदय, इन को रोका जाये। ये सदन को मजाक बना रहे हैं। यह अपनी बात को गलत तरीके से पेश करे रहे हैं। एक ही बात बार-बार रिपीट कर रहे हैं ....(व्यवधान)...... जो मन में आता है, बोलते जा रहे हैं ....(व्यवधान)......

†[شری جلال الدین انصاری: اپ ادھیکش مہودے - انکو روکا جائے - یہ سدن کا مذاق بنا رہے ہیں یہ اپنی بات کو غلط طریقے سے پیش کر رہے ہیں - ایک ہی بات بار بار ریپیٹ کر رہے ہیں - ... "مداخلت" ... جو من میں آتا ہے بولتے جا رہے ہیں]

श्री एस०एस० अहलुवालिया: आप को कौन रोकता है, जाइए करिए प्रदर्शन?

SHRI V. NARAYANASAMY (PONDICHERRY): Sir, I am on a point of order ....(*Interruptions*)......

SHRI S.S. AHLUWALIA: In Private Member's Bill discussion there is no point of order ....(*Interruptions*).....

SHRI V. NARAYANASAMY: Sir the Bill was moved by Smt. Veena Verma. It is a Private Member's Bill that has been taken up for discussion. The Member who moved the Bill is not in the House. No permission was granted by the Chair to the effect that the Bill could be taken up for discussion in the absence of the Member. The member is not there to reply to the questions raised by other Members. It is only after the Member replies that the Minister gets the right to reply. So, my submission is that since the Member is not present, this Bill cannot be taken up for discussion.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SATISH AGARWAL): So far as the discussion on the Bill is concerned, it is not essential under the rules for the Member moving the Bill to be present in the House. Once the Bill is moved in the House and it is under discussion, it becomes the property of the House. So, the House is competent to discuss the matter further. This discussion is valid and your point of order is hereby ruled out. Mr. Ahluwalia, kindly conclude. Don't generate more heat.

श्री एस०एस० अहलुवालिया: यह तो "लिप सर्विस" हो रही है यहां पर, लिप सर्विस हो रही है। बेकार में चिढ़ रहे हैं। उपसभाध्यक्ष महोदय, मैंने कहा कि मैं सुंदरता, संपत्ति और शक्ति के प्रदर्शन के विरोध में हूं और यही कारण है कि हमारी संस्कृति में, हमारे सिविलाइजेशन में नारी को शुरू से परदे में रखा गया है क्योंकि वह हमारी जननी है, वह हमारे घर की लक्ष्मी है, वह हमारे घर की इज्जत है। इसलिए उस को परदे में रखा गया है क्योंकि हम आज तक गृह मंत्रालय के अंदर दफ्तर में भी उस को सुरक्षित नहीं रख सके। और यही कारण है, चाहे वह मोहम्मद गजनवी का टाइम हो, चाहे

मोहम्मद गौरी का टाइम हो, चाहे मोहम्मद शाह अब्दाली का टाइम हो, हिन्दुस्तान में लुटेरे आते थे और लुटकर हीरे जवाहरात तो ले ही जाते थे, भेड़ बकरियों के साथ औरतो को भी साथ ले जाते थे और तब से यह चिंतन चला कि अपनी जननी की रक्षा कैसे करेंगे। उसके बाद उनको ऐसे कपड़ों में लुकाकर रखा जाता था। कई इलाकों में आज भी आप देखिएगा कि उनके जन्म होते ही, लड़कियों के खुबसूरत चेहरे पर गोदने गोद दिए जाते है ताकि वह बदसूरत लगे।

उपसभाध्यक्ष महोदय, यह मेरी बनाई हुई परंपरा नहीं है। मेरे पूर्व पुरुषों ने यह परंपरा बनाई है। ऐसा क्यों किया जाता था, उसके पीछे भी एक ही कारण था कि हम नहीं चाहते थे कि हमारी जननी का घर्षण है, हम नहीं चाहते थे कि हमारी जननी के साथ बलात्कार हो। हम नहीं चाहते थे कि उसके सौंदर्य से आकर्षित होकर पुरुष, जिसका यह किसी के ऊपर दबाव नहीं है, पर पुरुष की मानसिकता तो है कि वह हर सुंदर चीज को अपना लेना चाहता है और जब यह मानसिकता पाशविकता का रूप धारण कर लेती है तो वह पुरुष ऐसा कर्म करता है, उसको रोकने के लिए हमने यह पर्दे डाले थे। यही कारण था, महोदय, पर इस बात को मानने के लिए न तो आज की नारी तैयार है और न ही आज का समाज तैयार है। हम वास्तविकता से दूर कैसे भाग सकते हैं?

उपसभाध्यक्ष महोदय, वें आपके माध्यम से बीणा जी को अनुरोध करना चाहूंगा कि पहले ही आरक्षण के नाम पर बहुत लोगों ने आत्मदाह कर लिया, समाज में तनाव हुआ और अब जिस तरह से आरक्षण की बात की जा रही है उससे कम से कम आप यह मातृ रूप अन्नपूर्णा, घर की गृहलक्ष्मी को उस तनाव का मूल कारण मत बना दीजिए। यह जो ठंडी, शीतल की तरह है, जो आत्मा को शांति देती है, अपने वरदान से अपने बाल-बच्चों को पालती है और घर को आगे चढ़ाती है, उसको तनाव का मूल कारण मत बनाइए। अगर आपको मांग करनी ही है तो मैं रास्ता आपको बताता हूं कि आपके पास जो 15 प्रतिशत अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण है, उसमें 30 प्रतिशत अनुसूचित जाति की महिलाओं को पढ़ा-लिखाकर इसके काबिल बनाइए और उनको उस 15 प्रतिशत में से दीजिए। जो 7.5 प्रतिशत आपका अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण रखा है, उसमें से आप उनको दीजिए। हमें कोई आपत्ति नहीं है। भारत के किसी नागरिक को कोई आपत्ति नहीं होगी। जो यह 27 प्रतिशत का आरक्षण ओ०बी०सी० का रखा है, उसमें से आप 30 प्रतिशत उनकी महिलाओं को दीजिए, किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी। किन्तु अगर यही 30 प्रतिशत जोड़ते रहे तो जिन राज्यों में 70 प्रतिशत का आरक्षण पहले से ही है, और जो आंकड़े दिए जा रहे हैं कि इस जाति के लिए, इस धर्म के लिए, इन पिछड़ों के लिए, इन अगड़ों के लिए और आरक्षण दिया जाए तो वह तो 100 प्रतिशत से भी ऊपर चला जाएगा। मैंने इससे पहले भी कहा, हमारी सेक्रेटरी जनरल किसी आरक्षण की मोहताज होकर यहां नहीं बैठी है। .....(**व्यवधान**).....

SHRIMATI MIRA DAS: Mr. Vice-Chairman, Sir, 30% reservation in Government jobs is already there. in Orissa. There is no problem there. Everything is all right there. Why are you knowingly creating a problem and saying that it will create socio-economic problems?

SHRI S. S. AHLUWALIA: What is the total percentage of reservation there?

SHRIMATI MIRA DAS: There is 30% reservation for women in Government jobs.

SHRI S.S. AHLUWALIA: What is the total percentage of reservation there? is it 110%?

SHRIMATI MIRA DAS: What do you mean by that?

इसमें तो हण्ड्रेड परसेंट नहीं आता है, यह 30 परसेंट रिजर्वेशन है, अभी भी लागू है। वहां तो मुश्कल नहीं हो रही। .....(**व्यवधान**).....

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SATISH AGARWAL) Shriamti Mira Das, you are the next speaker. You take your seat.

SHRIMATI MIRA DAS: He is knowingly instigating that there will be such and such things.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SATISH AGARWAL): Don't get instigated right now. You are the next speaker. You get instigated then.

श्री संघ प्रिय गौतम: जनरल क्लास के लिए भी जो है, उसमें से भी 30 परसेंट कहिए। ....(**व्यवधान**)....

श्री एस. एस. अहलुवालियाः उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं यही कह रहा हूं कि जो इसकी मूल इच्छा है उसका मैं समर्थन करता हूं, किन्तु जिस पद्धति से इन्होंने मांगा है उसका विरोध करता हूं। ...**(व्यवधान)**...

प्रो॰ राम बख्श सिंह वर्माः सभी वर्गों का कहिए, जो जनरल है उसमें भी 30 परसेंट की बात आप करिए। ....**(व्यवधान)**....

श्री एस. एस. अहलुवालियाः जनरल की बात करुं? यह तो महिलाओं की बात है। जनरल का तो कोई रिजर्वेशन है ही नहीं।

उपसभाध्यक्ष (श्री सतीश अग्रवाल): नहीं, नहीं। उनका कहना यह है कि जैसे आपने कहा कि शेड्यूल्ड कास्ट में 30 परसेंट दे दो, शेड्यूल्ड ट्राइब्ज में 30 परसेंट दे दो, उसी प्रकार से जनरल में से 30 परसेंट दो। .....**(व्यवधान)**.....

श्री एस॰एस॰ अहलुवालियाः उपसभाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदया कह रही है कि नारी मेन स्ट्रीम में रहनी चाहिए। आदमी दफ्तर में सिर्फ 8 घंटे काम करता है और उसके बाद बाकी वह घर में रहता है और वहां वह नारी से मां के रूप में, पत्नी के रूप में, बेटी के रूप में मिलता है और पूरे सम्मान से मिलता है।

उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से और सदन की तरफ से, अपनी तरफ से यही मांग करूंगा कि वीणा वर्मा की अपना यह विधेयक वापिस ले लें और कृपा करके हमारे समाज की और घर की जो लक्ष्मी है, उसको तनाव का कारण न बनाएं और एक उज्ज्वल भारत व उज्ज्वल भारत का भविष्य बनाने में, उनके कर्णधारों के लालन-पालन से उनको वंचित न करें ताकि हम एक ऐसे भारत की ओर अग्रसर हो सकें जहां जरूरत हो तो झांसी की रानी पैदा हो, पर बिना रिज़र्वेशन के, जहां जरूरत हो तो मीराबाई पैदा हो लेकिन बिना रिज़र्वेशन के। ...**(व्यवधान)**... गवर्नमेंट जॉब हैं ही कितनी? सरकारी नौकरियां हैं ही कितनी, सरकारी कारखाने कितने हैं? सब प्राइवेट हैं और प्राइवेट में आप जाकर देखिए, एक्सपोर्ट हाउस में जाकर देखिए, वहां 95 परसैंट रिज़र्वेशन पहले ही लेडीज़ का है, वहां पुरुष तो जाते ही नहीं, उस काम में पुरुष हैं ही नहीं। घड़ी का कारखाना है, टी॰वी॰ का कारखाना है, असेम्बल यूनिट है, वहां सब औरतें हैं, जो डेलिकेट काम है, वहां पर वे उपस्थित हैं आलरेडी। वहां आपकी मांग करने से नहीं, वह अपनी मेरिट पर हैं और उनको मेरिट पर जाने दीजिए। उनको वैसे अबला कहने से आप नाराज़ हो जाते हैं और बाद में आप बैकडोर से कह रहे हैं कि मैं आपको अबला कहकर धक्का लगा दूं कि आप आरक्षण में चले जाइए। आप अबला हैं, अपनी मेरिट पर जाइए, कंधे से कंधा मिलाकर जाइए। धन्यवाद।

उपसभाध्यक्ष (श्री सतीश अग्रवाल): श्रीमती मीरा दास। कृपया समय का ध्यान रखें जिससे अधिक से अधिक माननीय सदस्य इस चर्चा में भाग ले सकें।

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (DEPARTMENT OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT) [SMT. BASAVA RAJESHWARI]: We want that women should be in the mainstream. *(Interruptions)*

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SATISH AGARWAL): Have you finished Mr. Ahluwalia? *(Interruption)* Now Smt. Mira Das.

SHRIMATI MIRA DAS: Thank you, Vice-Chairman, Sir. I must congratulate my colleague, Smt. Veena Verma, for bringing in this Private Member's Bill which seeks to address one of the problems of women in our society. In spite of the fact that the male-female ratio of the country's population is more or less 50:50 and in some States the female population ratio exceeds male ratio, the society still remains male-dominated. The head of the family is always the male member. The male child is the most sought after by the famly. Education, health and status of a female child are always compromised. A daughter is considered a liability. And, hence, social evils, almost bordering on criminality like sati, child marriage, prostitution, polygamy, marriage of minors, Devadasi system, etc. still exist in our so-called civilised society. And men like Ahluwalia are still there! *(Interruptions)* There are so many Ahluwalia's in our society. He is one example.

Sir, it will be improper on my part to say that the Government has done absolutely nothing to redress the grievances of women. There is no shortage of laws to improve the status of women in India and bringing it on a par with that of men. But

the condition of women is still not satisfactory.

SHRIMATI BASAVA RAJESHWARI: Have we not reserved 1/3rd seats for women in the local bodies, Madam? *(Interruptions)*. Even the Deputy Chairman is a woman. But you say that the Government has not done anything. We have taken so many measures; you must know that.

SHRIMATI MIRA DAS: Still it is lacking, and we want something more.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SATISH AGARWAL): Hon. Minister, you are going to reply to the debate. Don't join issue with anyone in between.

SHRIMATI MIRA DAS: This is my realisation. But when the condition of men is not satisfactory, you can imagine how bad the condition of women is. This problem is so huge that it could only be solved if the Government takes this up on a priority basis. I am not happy with the condition of men in the society. More than women, men should be educated about the predicament of women in the society. Government alone cannot do everything to improve the lot of women; I admit that. There are voluntary organisations and they are working in the social sphere. They should take care of improving the condition of women in this country and they should be involved to do a lot in this area. After 49 years of Independence, with so many pieces of legislation, condition of women has not improved and still it is not improving. This should make our leaders think in terms of making a thorough review. Madam, I tell you, you must make a review and see whether, after giving 30 per cent reservation in Zila Parishads and local bodies the status of women is improving. Unless you make a review, unless you know the real condition, you cannot say that after reservations the status has already improved. A thorough review of all the relevant laws should be made and modifications should be made to provide the laws with teeth in order to achieve this goal. The bill brought in by my friend, Mrs. Veena Verma gains all the more in importance, although it lacks in certain respects, in the background of the forthcoming World Conference on Women in Beijing. It has been the practice with the Government right from the Nehru era to give some sort of reservation to the weaker and backward sections of the society. I think this logic applies to most of the Indian women also who are backward, illiterate, weak in every respect. I wonder why the Government cannot see reason and bring forward a Government Bill to this effect in order to achieve this purpose. Sir, the National Commission for Women was set up with the noble objective of looking into the problems of women in the society. The Commission is doing an excellent work. The Commission is sending sensible and extremely valuable recommendations to the Government from time to time after making an in-depth study of the problems of women. The Government would only indulge in hypocracy if the recommendations of the National Commission for Women are not properly reviewed. There are certain important recommendations like the one reserving at least 30 per cent of jobs for women in the Government sector. In my opinion, keeping in view the population ratio, 50 per cent of jobs should be reserved for women. I do not find Shri Ahluwalia here now to oppose me. But, unfortunately, at present the percentage of women in Government jobs is as low as 4 to 5 per cent. In spite of a very low literacy rate among women, the Government has not been able to provide hundred per cent employment to those women who are educated at the moment. A UNDP report has already mooted 50:50 job proposal for women and men in various sectors according to their population.

Sir, I urge upon the Government to announce a time-bound programme in order to achieve this objective. Article 15--sub-clauses (3) and (4)—provides for making special provisions for women's

development. Sir, the Supreme Court, in its recent verdict, disallowed reservation exceeding 50 per cent. In my view, this verdict of the Supreme Court does not apply to the reservation of women because women do not form an additional category, and they constitute a sub-category within every category of citizens. So, in my opinion, in order to implement the provisions of the Constitution, necessary amendments should be made in the Act, and reservation should be provided to women in jobs. It is relevant to note that less than 5 per cent in Class-IV jobs, 15 per cent in clerical cadres, and 7 per cent in Class-I and 5 per cent in Class-II are held by women. The less said the better about the public sector. The provisions of the Act should be amended so that the private sector is also brought under the purview of reservation of jobs for women.

Sir, apartment from reservation in jobs, a lot is required to be done in order to educate women. More emphasis should be laid on women's education. Steps should be taken to reduce the high drop-out rate of girl child in the primary and secondary levels in schools. I am glad that the Defence Services have opened their gates for women. Still, the energies, strength and potential of women have not been fully utilised. The Government should come forward to rectify this imbalance and enable women to realise their full potential so that, through them, the society can benefit in its growth and development.

Sir, necessary provisions should be made in the Constitution so that this reservation could be extended to different State Legislatures and Zilla Parishads and Panchayat Raj institutions. Of course, it is already there in the Panchayat Raj institutions. I am glad to say that other State Governments should take the inspiration from Biju Patnaik, who as the Chief Minister of Orissa, had already reserved 30 per cent of Government jobs for women. Thank you, Sir.

SHRI V. NARAYANASAMY (Pondicherry): Mr. Vice-Chairman, Sir, I as I was listening to the speeches made by the hon. Members of this House on the Reservation of Posts for Women in Government Services Bill, 1995, piloted by our hon. Member, Shrimati Veena Verma, I felt that the debate on the Bill was not serious and, therefore, I thought I should participate in the discussion on this Bill.

Sir, it is a soul-searching question, and women in our society are neglected. Sir, we find that in the male-dominated society, women are being treated as mere servants to take care of children and prepare food.

They are still remaining in the villages. When you go to the villages, you find that the womenfolk are not being given the proper place in the society which they deserve. In some of the villages, we find that the women do not know the outside world. They know their husband, their children and their family members. Beyond that, they do not know anything.

Today, when we are giving reservation to women in the Panchayati Raj and Nagar Palika institutions, we should also give them equal opportunities in the matter of employment in Government services.

Sir, in the Western world, women are given their due place. They take up jobs. Women's share in employment is fifty per cent and they contribute to the national development. Take the case of China, our neighbouring country. There, both the husband and wife go to work. They contribute to the income of the family. They take care of their children. They live happily.

In India, we had certain customs in those days. Because of the customs that we there—I am not blaming anybody—and the conventions which were prevailing, the womenfolk were not allowed to come out of the House. They were not allowed to read. They were not allowed to take up employment. The women were

not allowed to mingle with the other people in the society. But those days are gone.

Today, when the women claim equal rights as those enjoyed by men, which has been enshrined in Constitution, they should also be given due respect. We find, nowadays, that the women's organisations are very vocal and they have been agitating. Whenever atrocities are committed on women, these organisations raise their voice. Sir, one ore two days back, I saw a news item. In Madhya Pradesh, a woman was murdered and the body was thrown into water for the crocodiles to eat. This is quite unfortunate. This is the kind of thing happening. Last month, we had the Naina Sahni murder case in Delhi. So many brutal killings of women are taking place. Such things are happening because women is the weaker sex. They are the weaker section of the society. In such a kind of society, until and unless women are given equal status—politically, economically, and in the administrative field—it would be very difficult for any country to develop.

We see in the Western world that women support themselves. They also support their family with their income. Why should we not do it in India? We have a large potential. A women can be a better entrepreneur. A woman can do a job better and sincerely. A woman would be able to handle even sophisticated technology. Therefore, why should we not use their potential? Why should we not give them opportunities? Today, you cannot say that a woman's duty is only to take care of her children and cook food in the house. These days are gone. When our women are prepared to compete with the male members of the society, we should encourage them. We should give them equal opportunities.

Sir, what is the position of women in Government services? What is the position of women in the I.A.S? How many women I.A.S. officers are there? This is because we have not given them equal opportunities. Our customs and conventions did not allow them to take up higher education and then compete for the I.A.S. On the contrary, when a girl child studies up to the eighth standard, she is stopped from going to school. Why is it so? This is because of the thinking that a girl child is a burden on the family. The parents believe in the convention that the daughter should be given in marriage; that is all. If reservation is provided on the basis of a Constitutional amendment, if a Constitutional guarantee is given to it, why would not the women members of the society study and compete with men? Take the case of Joint Secretaries in the administration. I hardly find one or two women Joint Secretaries at the Centre and in the States. They are going in only for clerical jobs. Why should they not become important personalities in the country?

4.00 P.M.

Sir, our women pilots are very successful. And women make better police than men in this country. So, why should we not give them the opportunity? I am very confident that in a country like India where a large potential is available and womenfolk are prepared to work, they will get the opportunities.

Let us go to the factories. Who are working sincerely there? The men are not working sincerely. The womenfolk are working very sincerely and they are giving better production and producitivity. So, why not give them the opportunity?

Let the Government of India introduce a scheme, first in the public sector undertakings. The hon. Minister is here and she should fight with the concerned Ministry for the purpose of cetting representation for women in the public sector undertakings. And women should be given representation by the Government in class I officers' posts.

You want to given them political power only in Nagar Palikas and Panchayats. You should do it in the Assemblies and also in Parliament. Also you should give representation to women in Government exployment. Why should we neglect them as if they are not capable of working?

Sir, I find a very stange argument in this House that we should pray to them are our *matas* and all that but we will not give them the power to rule this country. Indira Gandhi was a Prime Minister of this country and she was the most successful Prime Minister in the world. If the opportunity is given to them, they will definietly rule this country and them will definitely take very good decisions. They will be forerunners in the society and they will be ablve to contribute a lot for the development of this country. Therefore, the argument put forth by some of my colleagues here in this august House denigrating women is quite unfortunate. I felt very sad and that is why I had to participate in the discussion. We should give women equal rights. We should not treat them as slaves. Those days have gone. Women are now rising and they are questioning the authority of the husband when the husband goes wrong.

SHRI NILOTPAL BASU (WEST BENGAL): Sir, may I ask a question?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SATISH AGARWAL): If it is relevant.

SHRI NILOTPAL BASU: He is arguing very well for the whole thing. I have just a suggestion. So far as the speakers' list of the Congress Party is concerned, I would like to know whether Mr. Narayanasamy will concede 1/3 reservation for women in this House also.

SHRI V. NARAYANASAMY: Sir, as a far as this House is concerned, the House is in your hands, as a Presiding Officer. Whatever decision you take, we will agree.

SHRI NILOTPAL BASU: No. From the Congress Party, I want to know whether 1/3 reservation for women will be there or not.

SHRI V. NARAYANASAMY: If the hon. Members want to speak, they can.

SHRI NILOTPAL BASU: When the Congress Party fields its speakers, will 1/3 reservation be there or not? That means cutting down on your speeches. But, in principle, do you agree or not?

SHRI V. NARAYANASAMY: If the hon. Members like to speak, I won't stand in the way.

Sir, whether it is skilled labour or unskilled labour, today women are working sincerely in the agricultural field. We say that our farmers are the gods of this country. It is not the farmers alone. Their family members, especially the womenfolk, also work in the field.

Sir, I went to Manipur, a very remote corner of this country. There I found that women were working sincerely in the fields while the menfolk were sitting at home and enjoying their life. I went to several parts of this country. Women were working in the agricultural fields. Even in U.P. it is like this. And the men are threatening their wives and getting food from them. ...(*Interruptions*)... Therefore, Sir, let us not underestimate women.

Sir, when in the Constitution we have said that we will give women equal opportunities, it should be done in letter and spirit. The Government of India should implement it. The hon. Minister has been fighting for women's cause. And Mrs. Margaret Alva also should be here. Both of them should assure in this House, yes, we are going to give 30 per cent reservation for women in Government services, whether it is the Central Government or the State Governments.

You make a beginning with the public sector undertakings first. The Government of India should start with the public sector undertakings

first, then come to Government services, then at the State level and the at the level of the local bodies. Merely saying that we are fighting for women's cause will not serve any purpsoe. You do it in right earnest and we are prepared to support you. Bring a legislation and we are prepared to support you in this august body.

When the Bill is brought by the Member, don't tell the Member, "You withdraw the Bill and the Government will bring suitable legislation." Therefore, Sir, very serious consideration should be given to this Bill.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SATISH AGARWAL): That is generally the fate of every Private Member's Bill.

SHRI V. NARAYANASAMY: The Ministers are fighting. When we are supporting them, they shoudl fight for the cause of women. Therefore. I am telling the hon. Minsiter to say that they are accepting it. We are prpeared to support you on this matter. This is a very improtant Bill. The hon. Minister should agree to this and it should be passed by this House.

Thank you.

SHRI RAMACHANDRAN PILLAI (KERALA): Mr. Vice-Chairman, Sir, I support the spirit of this Bill. I congratulate Shrimati Veena Verma for piloting this Bill. She has brought an important social problem into focus.

But, I don't agree with the provisions of this Bill. I don't think that the provisions of the present Bill can find a solution to the issue of ineguality. It is a fact that women do not enjoy equal status in the present socieiy. They are discuriminated against. They are exploited. They are oppressed. How to find a solution to this problem? Can reservation alone find a solution to this problem? I don't think so. It can be a palliative for finding a solution to some of the problems. What is the reason for this inequal status of women in our solciety? What is the reason for their exploitation? What is the reason for their oppression? When did it start? How can we find a solution to the problem of inequality of status? These are the basic issues that we should discuss, and we should try to find a comprehensive solution to all the problems that we face.

If you look at the past according to me at the beginning of the human society, there was no inequality. Men and women were equal. They had an equal status. They exercised their rights equally in the society.

[THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SURESH PACHOURI) IN THE CHAIR]

But, in the subsequent phase of human history women lost their equality. They were exploited. They were oppressed. When was it? What was the reason? I don't want to go into the whole history of human society.

If you look at these problems you can see that it was the origin of private property that divided the society, that caused the unequal status of women in our society, that made them unequal. For the sake of private property, for making use of private property, women were exploited and oppressed.

Also, in our society, our tradition-bound obscurantist customs and practices also keep women unequal in stauts, exploit them and oppress them. In the present society, we can see that capitalist production relations are developing. These capitalist production relations are further dividing the society. These capitalist production relations also cannot find a solution to the problem of inequality in our society. It is considering women as a commodity. It is molesing their rights, and it is abusing them in whatever way the predominating class likes. So it is not an easy issue. It is a very very important social issue.

We have to approach this question in thiw whole background of what happens

in our society. If we look at our property laws, we will find many examples of this sort of male domination. You will find many examples of pushing women into an unequal status. So, to find a solution to this problem, an examination of the whole of our property laws is required. Even in the case of giving *pattas* in respect of surplus land, Goverenment land, and forest land without the green cover, they are given only to the male. Even the United Nations referred to this particular aspect and recommended when *pattas* are to be issued, they should be issued not only to the man, but also to the woman and wherever possible to issue joint *pattas*. So, for securing an equal status property right is an improtant factor. So, the Government should consider this particular aspect.

Secondly, there are lost of differences in our marriage laws, divorce laws and personal laws. Different religions approach this question differently. There also we can see that equal rights are not given to women. In order to give equal status to women we have to examine all these laws. We will not be able to find a solution to this problem just by giving them job reservations. Withoput building up the social infrastructure, these reservations also cannot ensure equality to women. They are to be given educational opportunities and there should be a genuine implementation of land reforms, the class and caste ridden society following old practices is mainly respeonsible for robbing the women of their rights. Unless we break these traditional customs and old practices, we cannot give them an equal status. The land reforms could be implemented only in those States where the peasant movement is strong, where the women's movement is strong. There we see not only these land reforms have helped us in increasing productivity and production, but have made radical changes having fd social and political dimensions.

It gave people the courage and confidence and also the social infrastructure to exercise their democratic rights. There the women are enjoying their rights and they are asserting their rights. When we talk of reservation in jobs for women, we have to address ourselves to this basic problem of genuine implementation of land reforms. Now, the Government have stopped even talking about land reforms. Recently; I remember, our Rural Development Minister referred to the importance of land reforms at a meeting in Hyderabad. I am very glad about it. But our Agriculture Minister shuts his eyes when we raise the issue of genuine land reforms. I do not want to elaborate this issue. We should give more importance to this particular aspect also. The implementation of land reforms would increase productivity and production which can give raw materials to our industries. This would increase the purchasing power of the people. This would also help in the rapid industrialisatic of our country. So, the genuine implementation of land reforms and rapid industrialisation of our country and ensuring equal opportunity to both sexes, men and women; otherwise we cannot find a solution to the problem of discrimination against women. We cannot ensure equal status for women with men.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (DEPARTMENT OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT) (SHRIMATI BASAVA RAJESHWARI): We have already given economic empowerment and joint pattas.

SHRI RAMACHANDRAN PILLAI: The economic issue is the basic issue. If you shut your eyes to this basic issue, to this problem .....(*Interruptions*).....

SHRIMATI BASAVA RAJESHWARI: Joint pattas are being issued.

SHRI RAMACHANDRAN PILLAI: Definitely it is one of the issues recommended by the United Nations to

all the countries in the world. When the Government issues joint pattas, it should be both in the name of husband and wife. But we have not made amendments to our laws for the issuance of joint pattas. Of course, we express some pious wish in some of our documents. Let us do that thing. There is no statutory provision. Of course, Ministers speak on this issue. We pass a certain resolution.

SHRIMATI BASAVA RAJESHWARI: Some States are issuing.

SHRIMAIT MIRA DAS: Yes, the State of Orissa is issuing joint pattas.

SHRI RAMACHANDRAN PILLAI: Whenever a patta is issued, it should be in the name of both husband and wife. I am glad that in some States they are doing it. This is subject to correction. But that should be dome by other States also. So, this is an issue of male *verus* female or female *verus* male. This is an important social issue. We have to address this most important social issue in a comprehensive manner and try to find a solution. This is only one of the methods which will give relief to some of the problems being faced by women. This Bill has generated a healthy discussion on all these issues. I hope that this will help up in finding a genuine and proper solution to the issue of inequality. Thank you.

SHRI R. MARGABANDU (TAMIL NADU): Respected Vice-Chairman, the AIADMK party is supporting this Bill because we, in Tamil Nadu, have already legislated and implemented a thirty per cent reservation, in all spheres, for women. The hon. lady Member here has said that Orissa has legislated for a thirty per cent reservation. The Government of Tamil Nadu has already done it. After our leader Dr. Puratchi Thalaivi has assumed leadership of our party, she has given thirty per cent.....*(Interruptions)*.

SHRIMATI BASAVA RAJESHWARI: Karnataka also has done it.

SHRI R. MARGABADNDU: .....thirty per cent of seats to women. Now there are more than 30 lady MLAs in the Tamil Nadu Assembly. Likewise, legislation was also made providing for a thirty per cent reservation in panchayat union elections. While creating job opportunities, this policy is implemented. Women are given their due share. I can quote an instance here. Recently, there was a selection made by the Tamil Nadu Public Service Commission to fill the posts of District Munsif-cum-Magistrate. There, my dauther was also selected mainly on the basis of the thirty per cent reservation. So, many ladies are getting opportunities in Tamil Nadu and they are serving well. As a matter of fact, to give importance to women and to handle cases involving women, in each and every district of Tamil Nadu, all-women police stations have been created. Investigations relating to women are given to the women police, especially in the cases involving sexual offences.

We are also adopting a rule in Tamil Nadu whereby only lady teachers have to be appointed to handle classes up to the V Standard. That is the rule in primary schools. We have formed a Women Development Corporation in Tamil Nadu and also have constituted another Corporation which gives loans to women for starting small-scale indsutries, for welfare measures and for agriculture. Widows and deserted women are immensesly benefited. Loans are given for purchasing cows and other things so that these women can earn their livelihood themselves and need not depend upon anybody.

There are several legislations in Tamil Nadu for the welfare of women and we are following them up. Our hon. friend Mr. Ahluwalia has to think twice before seeking the votes of women because he is speaking against the policy of the Government itself. Is it the policy of this Government to ignore women's rights? As the hon. Member Mr. Ranachandran Pillai has said, I think there should be a right to property for women Under the

Hindu Succession Act, women are given equal rights only in the property of the fater, not in the ancestral property. Recently, in 1988, there was a legislation. Taht legislation empowers unmarried daughters in Tamil Nadu to get equal rights even in ancestral properties along with sons. After 1988—a particular date has been fixed—unmarried dauthers can get equal rights in a property, even if it is ancestral.

I would like to make a suggestion that even the Hindu Succession Act should be amended for giving equal to women just like men. A dauhter should be given equal rights just like a son. There is also a shortcoming in the Hindu Adoption Act, 1956. According to this Act, for the costody of a male child, the mother is the natural guardian till that male child attains the age of five years. The moment a child completes his fifth year and enters the sixth year, the father becomes his natural guardian. I myself conducted a case of this type where the father of the child was a teacher and the mother was a housewife. There was a misunderstanding between the husband and the wife and the husband filed a petition for judicial separation which prayer was granted by the court. Then again, in the District Court, a petition was filed by the husband for the custody of the child and a child who had just completed five years of age, was handed over to the father. The fate of the child was that the husband could not take care of that small child and ultimately, that child also died because of non-protection.. So, my submission is that even the Hindu Adoption Act has to be amended giving the right of the natural guardianship of a child to the mother and till a child attains a majority, let the father and the mother be the natural guardians. Now, up to the age of marriage, the natural guardianship of the daughter is with the mother. Just like that, the Act has to be amended in order to give that right to the male child also.

Now, the common feeling is that woman is a child-bearing machine. That concept has to be removed from the minds of the people and women should be given due respect. Our Constitution gives equal rights to women. But Mr. Ahluwalia said: "No, no right shold be given to women." Is it the policy of the Government of India or the Congress party? At the moment, the Congress party is ruling almost the whole of India, but there are only two women Chief Ministers in the whole of India, that is, one in Tamil Nadu and the other in Uttar Pradesh. In the morning, the Prime Minister said that men and women are equal. I would like to know whether the Congress party will come forward to share the Chief Ministership of any State with any women in any of the States. Mere tall talk is of no use. Once you come forward with a suggestion, it must be implemented. So, a legislation has to be passed to this effect.

In Tamil Nadu, we are giving one per cent reservation to widows. Because of that quota, the widows are getting seats in the MBBS as well as in the engineering courses. Likewise, we have adopted several welfare measures and such measures will have to be followed uniformly throughout India. If we are really interested in the welfare of women and if we are really interested in giving status and dignity to women, then there should be a uniform legislation throughout India, reserving 30 per cent seats for them in all spheres. With these words, I conclude my speech.

श्री जलालुद्दीन अंसारी (बिहार): उपसभाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं वीणा वर्मा जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने सदन के सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिल लाया है। मैं चाहूंगा कि इस सदन का और सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान इस बिल की तरफ निश्चित तौर पर जाना चाहिए। संविधान के निर्माताओं ने अपने भारतीय समाज की जो अवस्था थी उसको ध्यान में रखते हुए संविधान में इस बात की व्यवस्था की थी कि लिंग के आधार पर पुरूष और महिलाओं के बीच में कोई विभेद नहीं होगा। इस बारे में प्रयास भी किया गया एक हद तक, लेकिन सचमुच आजादी के इतने साल बीत जाने के बाद भी सही मायनों में समाज में पुरूषों के

समान महिलाओं को क्या अधिकार दिया गया है? यह सही है कि हमारी महिलाएं जीवन के हर क्षेत्र में संघर्ष कर रही हैं अपने विकास की गति को बढ़ाने के लिए और उसमें उन्हें एक हद तक कामयाबी भी मिली है। आज महिलाएं डाक्टर बन रही हैं, इंजीनियर बन रही है, साइंटिस्ट बन रही है, नेता बन रही है, समाज के हर क्षेत्र में वह क्रमशः बढ़ रही है, लेकिन उनकी रफ्तार कम है। उनक विकास की गति को तेज करने के लिए कुछ आवश्यक कदम उठाने की जरूरत है ताकि वह मर्दों के साथ कदम से कदम मिलाकर, कंधे से कंधा मिलाकर भारतीय समाज के नव-निर्माण में अपनी सही क्षमता और योग्यता का प्रदर्शन कर सके, उसका उपयोग कर सके।

महोदय, सभी जानते है, अगर हम भारतीय समाज को देखें जो समाज के शुरूआती दौर में मातृ-प्रधान परिवार था, लेकिन जब निजी संपत्ति का जन्म हुआ तो मातृ-प्रधान परिवार की जगह पितृ-प्रधान समाज की संरचना की गई। क्यों की गई? यह इसलिए की गई कि समाज में, परिवार में और संपत्ति में प्रभुत्व महिलाओं का होगा या पुरुषों का होगा, इस पर जब विचार चला तो यह स्थापित किया गया कि समाज में, परिवार में, संपत्ति में पुरुषों की प्रधानता हो और इसीलिए आगे चलकर हमारे पितृ-प्रधान परिवार की संरचना हुई, जो आज भी है।

महोदय, हम जिस समाज में रह रहे हैं, उसका जो संस्कार है, वह सामंती संस्कार जिसे हम कहते हैं वह है। न सिर्फ अहलुवालिया जी की ही समझ से, यह केवल अहलुवालिया जी ही नहीं है, अभी भी लाखों लोग हैं, जिनकी समझ है कि महिलाओं का काम है गृहिणी के रूप में घर के काम करना, बच्चों का पालन-पोषण करना। उनको डर है जीवन के दूसरे क्षेत्रों में जो मर्दों का अधिकार है, जो उनकी स्वतंत्रता है, उस पर पाबंदी न लग जाए। सच्चाई यैह है। इस सच्चाई को कबूल करना पड़ेगा।

मैं आपसे पूछता हूं महिलाएं भी बच्चों को पहले 4.00 बजे भोर में क्यों उठाएं स्कूल जाने के लिए? हम पुरुष अपने बच्चे, बच्चियों को सबसे पहले क्यों न उठाएं? बच्चों को तैयार करने में हम क्यों न मदद करे? जब हम मानते हैं कि वह हमारी अर्द्धांगनी है, तो उनकी मदद करना भी हमारा दायित्व बनता है। क्या कहीं यह प्रचलन है कि घर-गृहस्थी के काम में भी समान रूप से महिलाओं के साथ पुरुष भी हाथ बंटाएं? यह समझ का, सोच का अंतर आज भी बरकरार है और जिसके कारण महिलाओं को एक समान स्तर पर देखने में पुरुष को कठिनाई महसूस होती है। उसे यह लगता है कि एक समान दर्जा मिल जाने पर गड़बड़ी पैदा हो जाएगी और इसीलिए इसका विरोध होता है। जब-जब महिलाओं को समान अधिकार देने की बात की जाती है तब उसका विरोध किसी न किसी रूप में, किसी न किसी बहाने किया जाता है।

इसलिए आज भी दहेज हत्याएं हो रही हैं, बलात्कार हो रहे हैं और अनेक तरह के सामाजिक उत्पीड़न का शिकार हमारी महिलाओं को बनाया जा रहा है। हमारे कुछ मित्रों ने ठीक ही कहा कि कुछ और भी कानूनी कदम उठाने की जरूरत है महिलाओं को सही मायनों में अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए, जैसे विवाह, तलाक और उत्तराधिकार से संबंधित जो कानून हैं, उनकी पुनःसमीक्षा आज की परिस्थिति में करके उनमें सुधार लाने की आवश्यकता है ताकि सही रूप में सम्पत्ति में भी उनका अधिकार हो और विवाह व तलाक के मामले में जो अनियमितताएं हैं, उनको भी दुरूस्त किया जा सके।

जहां तक प्रश्न है कि इस बिल में कहा गया है कि 30 प्रतिशत आरक्षण सरकारी नौकरियों में महिलाओं को दिया जाना चाहिए, तो इस संबंध में मैं कहना चाहता हूं कि वे प्रतियोगिता में तो आगे आ रही है, सफलता भी हासिल कर रही है, लेकिन इस 245 के सदन में ही आप देख लें कि हमारी जो महिला सांसद है उनकी संख्या शायद 22 है और अभी हमारे किसी मित्र ने कहा कि इस देश में दो ही महिला मुख्य मंत्री हैं— एक तो तमिलनाडु में है और दूसरी अभी उलट-पुलट में आ गई है उत्तर प्रदेश में मायावती जी। तो हमारा कहना है कि आप अगर हरेक क्षेत्र में देखेंगे तो पाएंगे कि उनको उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाता है। तो उनको उचित प्रतिनिधित्व दिया जाए और उनको उचित प्रतिनिधित्व दिलाने के लिए ईमानदारी के साथ हमारा प्रयास होना चाहिए। जब आप तरह-तरह के आरक्षण दे रहे हैं तो हमारी महिलाएं जो समाज में अभी भी सबसे ज्यादा पीड़ित है, उत्पीड़ित है और सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक रूप से तो यह सबसे ज्यादा पिछड़ी हुई है जबकि समाज में लगभग 50 प्रतिशत इनकी संख्या है, तो ऐसी स्थिति में यह विचार होना चाहिए कि सरकारी नौकरियों में भी उनको आरक्षण दिया जाए ताकि वे शासन और प्रशासन में अपनी भागीदारी को मुकम्मिल बना सके। जब समाज के हर हिस्से को शासन और प्रशासन में भागीदारी देने की बात की जा रही है तो इस

50 प्रतिशत आबादी को शासन और प्रशासन में भागीदारी के लिए समुचित अवसर क्यों न प्रदान किए जाएं? उनको भी समुचित अवसर दिए जाने चाहिए और इस दिशा में सरकारी नौकरियों में महिलाओं का आरक्षण एक कदम होगा उनको शासन और प्रशासन में भागीदार बनाने के लिए। इसलिए यह जो व्यवस्था की बात की गई है, हम सरकार से अपील करना चाहते हैं, अनुरोध करना चाहते हैं कि एक आप कम्प्रिहैंसिव बिल अपनी ओर से लाइए .. (व्यवधान).. मंत्री जी सुनें या न सुने हम तो सुना रहे हैं। कृष्णा साही जी भी सुनेंगी इसलिए कि उनकी भी आधे की भागीदारी है और हमारा समर्थन तो मिलेगा ही इसलिए कि समर्थन उनका और हमारा दोनों का है। तो हमारा अनुरोध होगा कि केन्द्र और राज्य सरकार की नौकरियों में 30 प्रतिशत आरक्षण पर विचार करते हुए सरकार एक कम्प्रिहैंसिव बिल लाए।

इसलिए आपनें देखा कि ग्राम पंचायत और लोकल बॉडीज के अंदर 33 प्रतिशत आरक्षण महिलाओं को दिया गया है। जब वह नीचे से शासन चला सकती है तो सरकारी नौकरियों में उनको क्यों नहीं प्रतिनिधित्व दिया जाता है। जब वह पंचायत चलाएंगी, म्यूनिस्पैलिटी चलाएंगी और बराबर भी होंगी तो निश्चित रूप से वह अपने अधिकारों को लड़कर ले लेंगी।

इन्हीं शब्दों के साथ हम "इस बिल की मूल भावनाओं का समर्थन करते हुए सरकार से मांग करता है कि सरकार एक कम्प्रहैंसिव बिल जाए और इसको पारित कराए।

†شری جلال الدین انصاری "بہار"
آپ ادھیکش مہودے - سب سے پہلے میں
مینا اور ماجی کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں
نے سمودھان کے سنشودھن ایک بہت بڑی مہتو پورن
بل لایا ہے میں چاہوں گا کہ اس سدن کا اور
سدن کے مادھیم سے سرکار کا دھیان اس
بل کی طرف نشچت طور پر جانا چاہئے - سمودھان
کے نرماتاؤں نے اپنے بھارتیہ سماج کی جو
ویوستھا تھی اسکو دھیان میں رکھتے ہوئے
سمودھان میں اس بات کی ویوستھا کی
تھی کہ لنگ کے آدھار پر پوروش اور
مہیلاؤں کے بیچ کوئی وبھید نہیں ہوگا -
اس بارے میں پریاس بھی کیا گیا ایک حد
تک - لیکن سچ یہ آزادی کے اتنے سال
بیت جانے کے بعد بھی صحیح مانوں میں
سماج میں پوروشوں کے سمان مہیلاؤں
کو کیا ادھیکار دیا گیا ہے - یہ صحیح ہے کہ
ہماری مہیلائیں جیون کے ہر کشیتر میں
سنگھرش کر رہی ہیں اپنے وکاس کی گتی کو
کو بڑھانے کیلئے اور اسمیں انھیں ایک حد
تک کامیابی بھی ملی ہے - آج مہیلائیں ڈاکٹر
بن رہی ہیں - نیتا بن رہی ہیں - سماج کے
ہر کشیتر میں وہ کرمٹھ بڑھ رہی ہیں -
لیکن انکی رفتار کم ہے - انکے وکاس کی
گتی کو تیز کرنے کیلئے کچھ آوشیک قدم اٹھانے
کی ضرورت ہے تاکہ وہ مردوں کے ساتھ قدم
سے قدم ملا کر - کندھے سے کندھا ملا کر
بھارتیہ سماج کے نو نرمان میں اپنی صحیح
الکشمتا اور یوگیتا کا پردرشن کر سکیں - اسکا
اپیوگ کر سکیں -

مہودے - سبھی جانتے ہیں کہ اگر ہم بھارتیہ سماج کو دیکھیں تو سماج کے شروعاتی دور میں ماتر پردھان سماج تھا - ماتر پردھان پریوار تھا - لیکن جب نجی سمپتی کا جنم ہوا تو ماتر پردھان پریوار کی جگہ - پتر پردھان سماج کی سنرچنا کی گئی - کیوں کی گئی - یہ اسلئے کی گئی کہ سماج میں پریوار میں پربھتو مہیلاؤں کا ہوگا یا پروشوں کا ہوگا - اس پر جب وچار چلا تو یہ استھاپت کیا گیا کہ سماج میں - پریوار میں - سمپتی میں پروشوں کی پردھانتا ہو اور اسی لئے آگے چلکر ہمارے پتر پردھان پریوار کی سنرچنا ہوئی جو آج بھی ہے -

مہودے - ہم جس سماج میں رہ رہے ہیں اسکا جو سنسکار ہے وہ "سامنتی سنسکار" جسے ہم کہتے ہیں وہ ہے - نہ صرف آدھلو والیہ جی کی ہے یہی سمجھ ہے - یہ کیول آدھلو والیہ جی ہی نہیں ہیں ابھی بھی لاکھوں

لوگ ہیں جنکی سمجھ ہے کہ مہیلاؤں کا کام ہے گرہنی کے روپ میں گھر کے کام کرنا - بچوں کا پالن پوشن کرنا - انکو ڈر ہے کہ جیون کے دوسرے اکشیتر میں جو مردوں کا ادھیکار ہے - جو انکی آفرادی ہے اس پر پابندی نہ لگ جائے - سچائی یہ ہے - اس سچائی کو قبول کرنا پڑے گا -

میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ مہیلائیں ہی بچوں کو پہلے چار بجے بھور میں کیوں اٹھائیں اسکول جانے کیلئے - ہم پروش اپنے بچے بچیوں کو سب سے پہلے کیوں نہ اٹھائیں - بچوں کو تیار کرنے میں ہم کیوں نہ مدد کریں - جب ہم مانتے ہیں کہ وہ ہماری "اردھانگنی" ہے تو انکی مدد کرنا بھی ہمارا "دائتو" بنتا ہے - کیا کہیں یہ پرچلن ہے کہ گھرگرہستی کے کام میں بھی سمان روپ سے مہیلاؤں کے ساتھ پروش بھی ہاتھ بٹائیں - یہ سمجھ کا سوچ کا انتر آج بھی برقرار ہے اور جسکے کارن مہیلاؤں کو ایک سمان استر پر دیکھنے میں پروش کو کٹھنائی ہوتی ہے - ایسے یہ لگتا ہے کہ ایک سمان درجہ مل جانے پر گڑبڑی پیدا ہو جائیگی اور اسی لئے اسکا ورودھ ہوتا ہے - جب جب مہیلاؤں کو سمان ادھیکار دینے کی بات کی جاتی ہے تب اسکا ورودھ ہوتا ہے - کسی نہ کسی روپ میں

کسی نہ کسی بہانے کیا جاتا ہے - اسی لئے آج
بھی "دھیج ہتیائیں" ہو رہی ہیں - "بلاتکار"
ہو رہے ہیں - اور "انیک طرح کے سماجک
اتپیڑن" کا شکار ہماری مہیلاؤں کو
بنایا جا رہا ہے - ہمارے کچھ متروں نے
ٹھیک ہی کہا ہے کہ کچھ اور بھی قانونی قدم
اٹھانے کی ضرورت ہے - مہیلاؤں کو
صحیح معنوں میں اپنے پیروں پر کھڑا کرنے
کیلئے جیسے وواہ - طلاق اور "استری دھن"
سے سمبندھت جو قانون ہیں انکی "پنر
سمیکشا" آج کی پرستھتی میں کر کے انمیں
سدھار لانے کی ضرورت ہے تاکہ صحیح
روپ میں سمپتی میں بھی انکا ادھیکار
ہو - اور وواہ اور طلاق کے بارے میں
جو ناانصافیاں ہیں انکو بھی درست کیا
جا سکے -

جہاں تک پرشن ہے کہ اس بل میں کہا
گیا ہے کہ ۳۰ فیصد آرکشن سرکاری نوکریوں
میں مہیلاؤں کو دیا جانا چاہیئے تو اس
سمبندھ میں میں کہنا چاہتا ہوں کہ وہ
"پرگتی یوگ" میں تو آگے آ رہی ہیں - سپھلتا
بھی حاصل کر رہی ہیں لیکن اس ۵ لہ ۲ ادن

کے سدن میں ہی آپ دیکھ لیں کہ ہماری
مہیلا سانسد ہیں انکی سنکھیا شاید ۲۲
ہے اور ابھی ہمارے کسی مترنے کہا کہ اس
دیش میں دو ہی مہیلائیں مکھیہ منتری
ہیں ایک تو تامل ناڈو میں اور دوسری
ابھی الٹ پلٹ میں آ گئی ہیں "اتر پردیش"
میں مایاوتی جی - تو ہمارا کہنا ہے کہ آپ
اگر ہر ایک الیکشن میں دیکھیں گے تو پائیں گے
کہ انکو "اچت پرتی ندھیتو" نہیں مل پا رہا ہے -
تو انکو "اچت پرتی ندھیتو" دیا جائے اور
انکو "اچت پرتی ندھیتو" دلانے کیلئے ایمانداری
کے ساتھ ہمارا پریاس ہونا چاہیئے -
جب آپ طرح طرح کے آرکشن دے رہے
ہیں تو ہماری مہیلائیں جو سماج میں
ابھی بھی سب سے زیادہ پچھڑی ہیں -
اتپیڑت ہیں اور سماجک - شیکشنک
اور آرتھک روپ سے تو یہ سب سے زیادہ
پچھڑی ہوئی ہیں جبکہ سماج میں لگ بھگ
۵۰ پرتیشت انکی سنکھیا ہے تو ایسی ستھتی
میں تو یہ ہونا چاہیئے کہ سرکاری نوکریوں
میں بھی انکو آرکشن دیا جائے تاکہ وہ
شاسن اور پرشاسن میں اپنی بھاگیداری
بنا سکیں اور مکمل بھاگیداری بنا سکیں -
جب سماج کے ہر حصے کو شاسن اور

پرشاسن میں بھاگیداری دینے کی بات کہی جا رہی ہے تو اس ۵۰ فیصد آبادی کو شاسن اور پرشاسن میں بھاگیداری کیلئے سموچت مواقع کیوں نہ پردان کئے جائیں - انکو بھی مناسب مواقع دیئے جانے چاہئیں اور اس دشا میں سرکاری نوکریوں میں مہیلاؤں کا آرکشن ایک قدم ہوگا انکو شاسن اور پرشاسن میں بھاگیداری بنانے کیلئے - اسلئے یہ جو ویوستھا کی بات کی گئی ہے ہم سرکار سے اپیل کرنا چاہتے ہیں - انورودھ کرنا چاہتے ہیں کہ ایک آپ "کمپری ہینسیو بل" اپنی طرف لائیے ... "مداخلت" ... منتری جی سنیں یا نہ سنیں ہم تو سنا رہے ہیں - کرشنا ساہی جی بھی سنینگی اسلئے کہ انکی بھی آدھے کی بھاگیداری ہے - اور ہمارا سمرتھن تو ملیگا ہی اسلئے کہ سمرتھن انکا اور ہمارا دونوں کا ہے تو ہمارا انورودھ ہوگا کہ کیندر اور راجیہ سرکار کی نوکریوں میں ۳۰ پرتیشت پر وچار کرتے ہوئے سرکار ایک "کمپری ہینسیو بل" لائے اسلئے آپنے دیکھا کہ گرام پنچایت اور لوکل بوڈیز کے اندر ۳۳ فیصد آرکشن مہیلاؤں کو دیا گیا ہے - جب وہ نیچے سے شاسن چلا سکتی ہیں تو سرکار نوکریوں میں انکو کیوں نہیں پرتیندھتو دیا جاتا ہے - جب وہ پنچایت چلائینگی - میونسپلٹی چلائینگی اور برابر بھی ہونگی تو نشچت روپ سے وہ اپنے ادھیکار کو لیکر کے لینگی -

انہیں شبدوں کے ساتھ ہم اس بل کی "مول بھاوناؤں" کا سواگت کرتے ہوئے سرکار سے مانگ کرتے ہیں کہ سرکار ایک "کمپری ہینسیو بل" لائے اور اسکو "پارت" کرائے -

["ختم شد"]

श्री ईश दत्त यादव (उत्तर प्रदेश): सम्मानित उपसभाध्यक्ष जी, श्रीमती वीणा वर्मा जी ने जो विधेयक प्रस्तुत किया है, इसका मैं समर्थन करता हूं। लेकिन इस विधेयक के माध्यम से महिलाओं की समाज में जो स्थिति है, इनकी जो दुर्दशा है, इनका जो असम्मान है वह दूर नहीं हो सकता। मान्यवर, इस देश में अनादिकाल से एक मनुवादी व्यवस्था रही और आज भी बहुत कुछ अंश में वह मनुवादी व्यवस्था कायम है, जिसमें एक तरफ तो महिला को, नारी को पूजनीय कहा गया, देवी कहा गया, लक्ष्मी कहा गया, अर्धांगिनी कहा गया, लेकिन दूसरी तरफ उसे अबला भी कहा गया, दासी

लिखा गया है नाम और पिता का नाम। नैम एड फादर्स नेम, टेलीफोन नंबर, ऐड्रेस एंड अदर्स लेकिन यह कहीं नहीं लिखा गया है ...(**व्यवधान**)... भी कहा गया और कमजोर भी कहा गया। हिन्दी साहित्य के विख्यात कवि और राष्ट्र कवि मैथली शरण गुप्त ने लिखा था। जो मानवीय व्यवस्था है, समाज में जो महिला की स्थिति है, उसका मूल्यांकन करते हुए उन्होंने लिखा कि:

''अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी,
आंचल में है दूध और आंखों मे पानी''।

महिला को, नारी को सम्मान देने के लिए, उन्हें अधिकार देने के लिए, उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए और उन्हें पुरुष के बराबर सशक्त बनाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा और सरकार को इस पर गंभीरता से विचार करना पड़ेगा। नारी को कितना हेय समझा गया, उसको अधिकारों से वंचित किया गया। जिस पर कोई व्यय नहीं होने वाला है, जिस पर कोई खर्च नहीं करने वाला है, सरकार को कोई वित्तीय भार भी वहन नहीं करना पड़ेगा, मैडम् कृष्णा साही जी से मेरा अनुरोध है कि सरकार को जिस पर वित्तीय भार भी वहन नहीं करना पड़े, वह कानून भी सरकार नहीं बना सकती। मान्यवर, अभी मैं कुछ दिन पहले बंगला देश की लेखिका तसलीमा नसरीन का एक लेख पढ़ रहा था। उसमें किसी ने उनसे कहा कि अपनी डायरी में यह बात नोट कर लो। तसलीमा नसरीन ने कहा कि—मैं डायरी नहीं रखती। उन्होंने पूछा कि—क्यों, डायरी नहीं रखती? लेखिका ने बताया कि उस डायरी में नारी के लिए कहीं स्थान नहीं है, क्योंकि डायरी में आदमी की आइडेंटिफाई पिता से हो रही है।

श्रीमती कृष्णा साही: फादर्स ऑर हज़बैंड्स लिखा गया है।

श्री ईश दत्त यादव: फादर, हज़बैंड या मां का भी नाम होना चाहिए। मां के नाम से भी आइडेंटिटी हो सकती है। नारी जननी है, बच्चे को जन्म देती है और नाम लिखा जाता है फादर्स नेम। मदर्स नेम गायब हो जाता है।

मान्यवर, इसी तरह से सम्पत्ति का देखेंगे, सम्पत्ति में महिला को कोई अधिकार नहीं है और बहुत जगहों पर अधिकार नहीं है। होना तो यह चाहिए कि अगर महिला को, नारी को अर्द्धांगिनी कहते हैं तो जब वह किसी की पत्नी बन कर आती है तो उस दिन से पति की सारी सम्पत्ति में उसका अधिकार होना चाहिए। कहने को तो बोल देंगे अर्द्धांगिनी और सम्पत्ति में उसका कोई अधिकार नहीं। उसका पति है, पति मर गया फिर बच्चे हैं, बच्चों का नाम हो जाएगा सम्पत्ति पर। नारी को सम्पत्ति में कोई अधिकार नहीं दिया गया।

मान्यवर, दूसरी स्थिति यह है कि आज यह सही है कि नौकरियों में उच्च पदों पर महिलाएं अपनी योग्यता से, अपनी शिक्षा से, अपने परिश्रम से आ रही हैं। आई०ए०एस०, आई०पी०एस०, पी०सी०एस० लेकिन मान्यवर, जो तृतीय और चतुर्थ श्रेणी की नौकरियां हैं, इनमें महिलाओं की संख्या बहुत कम है और मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, व्यक्तिगत जानकारी है कि तृतीय और चतुर्थ श्रेणी में देश में जहां कहीं भी महिलाओं को नौकरी मिली है, वह उसके पति के मर जाने के बाद मिली है क्योंकि सरकार का जिस तरह से नियम है, कानून है और मानवीय आधार है, उस आधार पर उसे नौकरी में लिया जाता है। इसलिए नहीं लिया जाता कि वह योग्य है या उस पद पर उसकी पहली नियुक्ति हो सकती है।

श्री संघ प्रिय गौतम: यादव जी, आप जो कुछ बोल रहे हैं हिंदू महिलाओं के बारे में बोल रहे हैं। कुछ महिलाओं के बारे में भी बताइए। ...(**व्यवधान**)...

श्री रामदास अग्रवाल: उसमें परिवर्तन होना चाहिए, कुछ उस पर भी प्रकाश डालिए।

श्री ईश दत्त यादव: वह सब तो आप लोगों के जिम्मे है ...(**व्यवधान**)... तो मान्यवर, मैं यह कह रहा था कि आज कानून में अगर परिवर्तन भी कर दिया जाए, संविधान में परिवर्तन भी कर दिया जाए जिसको भारतीय जनता पार्टी के लोग पसंद नहीं करेंगे क्योंकि ये लोग मनुवादी व्यवस्था में विश्वास करते हैं। ...(**व्यवधान**)...

एक माननीय सदस्य: मनुवादी व्यवस्था है क्या?

श्री रामदास अग्रवाल: मनुवाद आपने पढ़ा है क्या?...मैंने नहीं पढ़ा है लेकिन आपसे पूछ रहा हूं कि अगर आपने पढ़ा हो तो कुछ प्रकाश डालें उस पर। ...(**व्यवधान**)... किसी ने नहीं पढ़ा है इसलिए उसके खिलाफ बोल रहे हैं। किसी ने नही पढ़ा। मनु में यह लिखा है।...(**व्यवधान**)...

श्री ईश दत्त यादव: महोदय, समाज में नारी को हेय समझने का जो कारण है, उससे बहुत जबरदस्त कारण यही लोग हैं जो आज शोर मचा रहे हैं। मैं यह निवेदन कर रहा था कि यदि नौकरियों में महिलाओं के लिए आरक्षण कर दिया जाए, चाहे जितने प्रतिशत कर दिया जाए और संघ प्रिय गौतम जी कह रहे थे, मैं इनकी बात को ठीक मानता हूं कि जितना अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण है, जनजाति के लिए आरक्षण है, पिछड़ी जाति के लिए ...(**व्यवधान**)...

श्री रामगोपाल यादव: डॉ० राम मनोहर लोहिया ने महिलाओं को पिछड़े वर्ग में माना है कि रिज़र्वेशन के लिए माना है। वही कह रहा हूं, किसी जाति में नहीं...(**व्यवधान**)...

श्री संघ प्रिय गौतम: यादव जी, डा० लोहिया ने तो कहा था कि

संसोपा ने बांधी गांठ,
पिछड़े पावें सौ में साठ।

श्री ईश दत्त यादव: तो यह तो मान्यवर हमारे विद्वान मित्र और सदन के सम्मानित सदस्य प्रो० राम गोपाल जी ने ठीक स्मरण दिलाया। 60 तो बाद में किया गया लेकिन डा० राम मनोहर लोहिया का जो मूल सिद्धांत था, मूल नारा था, उसमें उन्होंने कहा था कि देश में 90 प्रतिशत लोग पिछड़े हुए हैं और उस 90 प्रतिशत में महिला को भी उन्होंने सम्मिलित किया था। तो मैं कह रहा था कि नौकरियों में, जैसा कि गौतम जी सुझाव दे रहे थे या हमारे कई माननीय सदस्यों ने सुझाव दिया, अगर आरक्षण दे भी दिया जाए, चाहे जितने प्रतिशत दे दिया जाए, तो भी वह वैकैंसी फिलअप नहीं होगी और इसका कारण यह है कि असली भारत तो आज भी गांवों में ही बसता है और गांवों में महिलाओं के लिए शिक्षा की व्यवस्था नहीं है, प्राइमरी स्कूल है, जूनियर हाई स्कूल है और कहीं-कहीं इंटर मीडिएट कॉलेज हैं किन्तु वह 10-20 किलोमीटर दूर हैं जहां वह बेटी पढ़ने के लिए नहीं जा सकती है। उसको इतनी दूर आने-जाने में कठिनाई होती है, वहां रुकने में कठिनाई होती है। इसलिए सबसे आवश्यक है कि नारी के लिए, महिला के लिए, बच्ची के लिए शिक्षा की व्यवस्था की जाए। दिल्ली में, लखनऊ में, कलकत्ता में, मद्रास में, बम्बई में सारे स्कूल-कॉलेज हैं, डिग्री कॉलेज हैं, यूनीवर्सिटी हैं और को-ऐजुकेशन भी है और कहीं पढ़ने में कोई कठिनाई नहीं है। लेकिन मान्यवर, आज गांवों की स्थिति, देहातों की स्थिति क्या है, वहां शिक्षा की व्यवस्था क्या है? हमारी सरकार उत्तर प्रदेश में थी। हमारे नेता माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने एक घोषणा की थी और उसे चरितार्थ भी किया था कि हर ब्लॉक लैवल पर गवर्नमैंट का एक इंटरमीडिएट कॉलेज लड़कियों के लिए खोला जाएगा और उन्होंने खोलने शुरू भी किए थे। इस तरह की व्यवस्था बच्चियों को शिक्षा देने के लिए हो, वहां डिग्री कॉलेज खुलें, क्योंकि मान्यवर गांव का जो आदमी है, महिला और नारी के लिए आरक्षण से नहीं है बल्कि जो गांव में आम आदमी रहता है, जिसकी बेटियां हैं, उसके लिए भी उच्च शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए और जब तक उनको उच्च शिक्षा नहीं दी जाएगी, वह नौकरियों में नहीं आ सकतीं, आई०ए०एस० और आई०पी०एस० में नहीं आ सकतीं, पी०सी०एस० में नहीं आ सकतीं और यह तो बड़ी नौकरियां हैं, तृतीय और चतुर्थ श्रेणी की नौकरियां मिलना भी उनके लिए संभव नहीं है। इसलिए सरकार को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। महोदय, मैं केवल पांच मिनट और लूंगा, ज्यादा नहीं लूंगा। मैं निवेदन कर रहा था कि सरकार को इस गंभीर समस्या पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। हमारी राय में नारी को इसलिए कमजोर माना गया है कि वह पुरूष के बराबर काम नहीं करती और काम से

उनका मतलब यह रहता है कि पुरूष खेती करता है, व्यापार करता है, नौकरी करता है या अगर कहीं कुछ भी आय का स्रोत पुरूष और महिला आय का स्रोत नहीं है तो घर में उसको पुरूष के समान अधिकार नहीं मिलते हैं। उसको पति के आदेशों का पालन करने के लिए विवश होना पड़ता है। सही आदेशों का पालन करना तो हमारी संस्कृति है, भारतीय संस्कृति है कि पति और पत्नी का दामपत्य जीवन सुखी रखने के लिए, एक रखने के लिए और आनन्दमय रखने के लिए एक दूसरे की बातों को, सही बातों को माना जाए।

लेकिन यहां तो जो महिलाएं काम नहीं करती है जिसके जरिये परिवार की कोई आय नहीं होती है उसके लिए व्यवस्था होती है चाहे पति का आदेश सही हो या गलत हो। इसीलिए महिलाओं को तो नौकरी देनी ही चाहिए, व्यवस्था सरकार को करनी ही चाहिए और इस तरह का कानून बनाना चाहिए। महिलाओं को सम्पत्ति में भी अधिकार देने की व्यवस्था करनी चाहिए। अगर सम्पत्ति में अधिकार नहीं दिया जायेगा तो मेरा कहना है कि नौकरियां तो इतनी हैं नहीं कि आरक्षण करके लगभग 45 करोड़ महिलाएं अगर देश अंदर है और उसमें 8 करोड़, 10 करोड़ या 15 करोड़ भी अगर शिक्षित हैं या नौकरी के योग्य हो चुकी हैं तो सब को नौकरी दे दी जाए। जब ऐसा नहीं होगा तो इस सरकार को उनके लिए रोजगार की व्यवस्था करनी होगी। उनको सम्पत्ति में अधिकार देना होगा। जिस तरह का समाज चल रहा है, जिस तरह की सोसाइटी चल रही है, जिस तरह का देश का वातावरण है यह भी कम गम्भीर और चिंताजनक नहीं है। इस देश में घटनाएं रोज हो रही है। कुछ घटनाओं का सम्बन्ध बड़े लोगों से होता है तो वह प्रकाश में आ जाती है, घिनौनी हो जाती है, पूरा देश जान जाता है तो उसकी निन्दा होती है। जैसे कि कुछ दिन पहले दिल्ली में एक घटना हुई तंदूर कांड वाली। अभी आपके मध्य प्रदेश की घटना भी आजकल के समाचार पत्रों में प्रकाशित हुई। एक पति देव अपनी धर्मपत्नी से नाराज हुए और उन्होंने उसके टुकड़े-टुकड़े कर दिये। उनको घड़ियाल पालने का शोक है अपने तालाब में घड़ियाल पाल रखा है। उसमें अपनी पत्नी के टुकड़ों को डाल दिया उसके खाने के लिए। आज जिस तरह से जघन्य, घिनौने और अमानवीय अपराध इस देश के अंदर हो रहे हैं इस पर भी गम्भीरता से सोचना होगा कि पति-पत्नी के संबंध किस तरह से मधुर हो, दाम्पत्य जीवन किस तरह से सुखी हो और किस तरह से दाम्पत्य जीवन सुखी रह कर परिवार की प्रगति हो। मैं वीणा वर्मा जी को धन्यवाद देना चाह रहा हूं....

कुमारी सरोज खापर्डे: वह तो हैं नहीं।

श्री ईश दत्त यादव: आपके माध्यम से वह चला जायेगा। उन्होंने इस बिल को प्रस्तुत करके सरकार का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया है नारी की गम्भीर समस्या की ओर। मैं सरकार से चाहूंगा कि इस पर गम्भीरता से विचार करके कानून में, संविधान में इस तरह से संशोधन करे कि नारी का जीवन सुखमय हो सके और वह भी पुरूष के समान अधिकार पा सके। बहुत-बहुत धन्यवाद।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SURESH PACHOURI): Shri John Fernandes, only two minutes.

SHRI JOHN F. FERNANDES (GOA): Mr. Vice-Chairman, Sir, I do not want to say much. I cannot say whether I support or oppose the Bill. This Bill is very innocuous and this is a very valid Bill. When we gave ourselves the Constitution, we did not have any discrimination. If you see certain European countries, for example, Switzerland, that country gave the voting right to women in 1971. This is a developed European country. But in 1947 we gave ourselves the Constitution. It is one of the most advanced Constitutions, Mr. Vice-Chairman, because we have copied from six constitutions of the world and there is no discrimination as far as gender is concerned. I do not know whether the demand made by my hon. colleague is violative of a fundamental right, the right of equality for job opportunities for everyone.

In an election year, Mr. Vice-Chairman, it becomes a fashion to raise a slogan for reservations to have a mass appeal for a certain community.

If we appeal to a certain gender of the community, I think, it is not proper. My colleague has mentioned that 33% jobs should be reserved in the Government, that is, the Central and the State Governments. She has not spoken about the

industrial sector. *(Time bell)* I will continue, Sir.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SURESH PACHOURI): Now, we shall take up the Government Legislative Business.

THE SIXTH SCHEDULE TO THE CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL, 1995

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI S.B. CHAVAN): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Constitution of India in its application to the State of Assam.

The question was put and the motion was adopted

SHRI S.B. CHAVAN: Sir, I introduce the Bill.

THE VICE-CHAIRMAN: The House stands adjourned till eleven o' clock, on Monday, the 21st August, 1995.

The House then adjourned at one minute past five of the clock till eleven of the clock on Monday, the 21st August, 1995.